

अध्याय - 4

केन्द्र और राज्य वित्त व्यवस्थाओं की समीक्षा

प्रस्तावना

4.1. 2003-04 की अवधि के बाद बहुत सारे महत्वपूर्ण घटनाक्रम हुए जिनका प्रभाव केन्द्र के साथ-साथ राज्यों के लोक वित्त पर पड़ा। देश ने भूत काल से भिन्नता दर्शाते हुए उच्च वृद्धि दर की राह पकड़ ली है। अर्थव्यवस्था में उच्च वृद्धि के बाद राजस्व वृद्धि में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। 2004-05 में केन्द्र द्वारा राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबन्धन अधिनियम (एफआरबीएमए) के परिचालन ने लोक वित्त के नियम-आधारित प्रबन्धन के युग में प्रवेश कर लिया है। अधिकतर राज्यों ने 2005-06 में मूल्य वर्धित कर (वैट) शुल्क लागू किया जिससे उनका कराधार बढ़ा। राज्यों द्वारा राजस्व वृद्धि को बारहवें वित्त आयोग (एफसी-xii) के सिफारिशों से पूरा किया गया, वही केन्द्र के निवल कर राजस्वों में राज्यों की हिस्सेदारी 29.5 प्रतिशत से बढ़कर 30.5 प्रतिशत हो गयी। आयोग ने भी राज्यों को उच्च विशिष्ट उद्देश्यों वाली अनुदानें देने की सिफारिश की। आयोग द्वारा सुझाया गया ऋण समेकन और ऋण सुविधा (डीसीआरएफ) के लाभ राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (एफआरएल) को अधिनियमित करते हुए राज्यों पर शर्त आधारित लागू है। पश्चिम बंगाल और सिक्किम को छोड़कर सभी राज्यों ने राजकोषीय उत्तरदायित्व विधान (एफआरएल) को अधिनियमित कर प्रतिक्रिया दर्शायी। ऋण समेकन और राहत सुविधा ने ऋण राहत को राजस्व घाटे में कमी और 2004-05 के स्तर तक न्यूनतम स्तर पर राजकोषीय घाटे से जोड़ते हुए, राज्यों को राजकोषीय सुधार करने के लिए प्रेरित किया। डीसीआरएफ के परिणामस्वरूप राज्यों को ऋण को बट्टे खाते डालना और केन्द्रीय ऋणों के बकाया सम्बन्धी ब्याज भुगतानों में बचत के सन्दर्भ में बड़ी राहत मिली।

4.2 इन विकास कार्यों के पश्चात् 2007-08 तक केन्द्र और राज्यों दोनों वित्त व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। केन्द्र का राजस्व घाटा 2003-04 में सकल घरेलू उत्पाद (सघउ) के 3.57 प्रतिशत से घटकर 2007-08 में 1.11 प्रतिशत हो गया। केन्द्र का राजकोषीय घाटा 1.79 प्रतिशत की कमी होकर इसी अवधि में सघउ का 2.69 प्रतिशत तक हो गया। राज्यों के राजस्व लेखा ने 2004-05 के सघउ के 1.25 प्रतिशत के घाटे की तुलना में 2007-08 में सघउ के 0.94 प्रतिशत अधिशेष दर्ज किया। राज्यों के समग्र राजकोषीय घाटे 1.89 प्रतिशत से घटकर इसी अवधि का तुलना में सघउ का 1.51 प्रतिशत हो गया। केन्द्र और राज्यों दोनों स्तरों पर राजकोषीय समेकन को महत्वपूर्ण स्तर तक वर्धित कर प्रयास और कर सुधार द्वारा सक्षम बनाया गया।

4.3 वैश्विक मंदी के कारण 2008-09 में सघउ वृद्धि में तीव्र गिरावट आयी और यह 2009-10 में वृद्धि परिदृश्य को सम्भवतया नकारात्मक रूप से प्रभावित करेगा। सघउ वृद्धि विगत तीन वर्षों के 9.4 की औसत से तेजी से गिरकर 2008-09 में 6.7 प्रतिशत हो गयी। अन्तरराष्ट्रीय विकासों के प्रभाव के अलावा 2009-10 में दक्षिण-पश्चिम मानसून का कमी ने भी वृद्धि को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी) ने 2009-10 की सघउ वृद्धि लगभग 6.5 प्रतिशत बताई। भारतीय रिजर्व बैंक ने 2009-10 में ऊर्ध्वाधर आधार के साथ 6 प्रतिशत के सघउ वृद्धि की घोषणा की है। अर्थव्यवस्था की वृद्धि में तेजी से गिरावट से केन्द्र द्वारा विस्तृत राजकोषीय

अवस्थिति प्रतिचक्रिक उपाय के रूप में प्रेरित हुआ है। केन्द्र ने कर दरों में कमी, निर्यात के लिए वापस दरों में वृद्धि, कर छूटों का विस्तार और केन्द्र प्रायोजित योजनाओं (सीएसएस) जैसे राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एनआरईजीएस) की योजना के तहत अतिरिक्त आवंटन सहित तीन राजकोषीय प्रोत्साहन पैकेज त्वरित लगातार (दिस. 2008, जन. 2009 और फरवरी 2009) लिये है। केन्द्र सरकार द्वारा छठे केन्द्रीय वेतन आयोग (सीपीसी) की सिफारिशों का कार्यान्वयन कृषि ऋण माफी और खाद्य एवं उर्वरक सब्सिडियों के लिए निधियों के अतिरिक्त प्रावधान से राजकोषीय भार बढ़ा है। तथापि, ये अतिरिक्त प्रतिबद्धताएं, यद्यपि ये प्रोत्साहन का भाग नहीं हैं, अर्थव्यवस्था में राजकोषीय प्रोत्साहन के रूप में काम आयी। समग्र रूप से, केन्द्र द्वारा एफआरबीएमए के कार्यान्वयन में "रोक" का काम किया है। राज्यों को भी उनकी राजकोषीय और राजस्व घाटा लक्ष्यों में शिथिलता की अनुमति दी गई।

4.4. वर्तमान प्रसरणशील राजकोषीय अवस्थिति को भी हमारे अतिरिक्त विचारार्थ विषय में आवश्यकता की तुलना में देखा जाना चाहिए ताकि हमारी सिफारिशों को तैयार करने समय बेहतर उत्पादन और परिणामों को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक व्यय की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता पर विचार करें। सरकार का बढ़ा हुआ व्यय, उच्च उत्पादकता, वर्धित क्षमता और वृहत्तर प्रभाव के माध्यम से उत्तम परिणामों की ओर ले जाएगा। हालांकि पूर्व में, इक्विटी विचारों का अन्तरण वाद-विवाद पर अधिक प्रभाव रहा, फिर भी हाल ही के वित्त आयोगों ने अपनी सिफारिशों में क्षमता कसौटियों को भी शामिल किया है। तथापि, यह मुख्यतः राजस्व बढ़ोतरी और किए गए राजकोषीय सुधार तक जुड़ा हुआ है। इस पहल को आगे रखते हुए, सेवा वितरण की गुणवत्ता और वांछित परिणामों की उपलब्धि के लिए सार्वजनिक व्यय की जुड़ाव क्षमता और प्रभावशीलता एक बड़ी चुनाती बना हुआ है।

4.5 उपर्युक्त पृष्ठभूमि का तुलना में, हम केन्द्र और राज्यों की अर्थ-व्यवस्थाओं में प्रवृत्तियों को, संसाधनों के ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज वितरण सम्बन्धी हमारे दृष्टिकोणों की तैयारी की पृष्ठभूमि की भूमिका के रूप में निम्न प्रकार से विश्लेषण और परीक्षण करते हैं।

केन्द्रीय वित्त व्यवस्थाओं की समीक्षा

4.6. पहले उदाहरण में, केन्द्रीय वित्तव्यवस्था में समग्र प्रवृत्तियों को घाटा संकेतकों के संदर्भ में विश्लेषित किया जाता है। ये हैं राजस्व, राजकोषीय और प्राथमिक घाटे। घाटा महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये ऋण धारणीयता सम्बन्धी सार्वजनिक अर्थव्यवस्थाओं में बदलाव के प्रभाव का संकेत देते हैं। चूंकि राजकोषीय संकेतकों का विश्लेषण एफआरबीएमए के तहत निर्धारित लक्ष्यों से जोड़कर किया जाएगा, अतः एफआरबीएमए का संक्षिप्त विवरण सुव्यवस्थित है। बार बार राजकोषीय समस्याओं का सामना करने, बढ़ते राजस्व और राजकोषीय घाटे के रूप में व्यक्त होने पर केन्द्र सरकार ने 2003 में एफआरबीएमए में अधिनियमित किया जिसे 5 जुलाई 2004 से लागू किया गया। राजकोषीय संकेतकों पर उच्चतम सीमा की अनुबन्धित करने के अतिरिक्त, विधान राजकोषीय पारदर्शिता, बजट सत्यनिष्ठा और जवाबदेही को जोड़ते हुए राजकोषीय प्रान्धन सिद्धान्तों को निर्धारित किया।

एफआरबीएमए, 2003 और एफआरबीएम विनियम 2004, वित्त अधिनियम 2004 के माध्यम से यथा संशोधित मुख्य बाध्यताएं निम्नलिखित हैं:

- i) 2004-05 से प्रत्येक वर्ष सघउ के 0.5 प्रतिशत का न्यूनतम वार्षिक कमी को सुनिश्चित कर 2008-09 तक राजस्व घाटे को समाप्त करना।
- ii) 2004-05 से सघउ का न्यूनतम 0.3 प्रतिशत वार्षिक की कमी कर राजकोषीय घाटे को कम करना, ताकि 2008-09 के अंत तक राजकोषीय घाटा घटकर सघउ के 3 प्रतिशत से अधिक न हो।
- iii) किसी वित्त वर्ष में सघउ के 0.5 प्रतिशत तक सरकारी प्रतिभूतियों को सीमित करना और 2004-05 में सघउ के 9 प्रतिशत तक अतिरिक्त देयताओं को सीमित करना और उसके पश्चात प्रत्येक आगामी वर्ष में सघउ को 1 प्रतिशत कम करते हुए 9 प्रतिशत की सीमा को घटाना।
- iv) केन्द्र सरकार 2006-07 से भारतीय रिजर्व बैंक से उधार नहीं लेगी।
- v) विशेष सूचना का अधिकतम 2006-07 से प्रकटन जैसे कि राजस्व बकाया, सरकारी परिसम्पतियां और प्रतिभूतियां।
- vi) प्राप्तियों और व्यय की त्रैमासिक समीक्षा करना।

4.7. सारणी 4.1 2003-04 के पश्चात केन्द्र सरकार के राजकोषीय संकेतकों का रेखा चित्र प्रस्तुत करता है। मूल रूप से एफआरबीएमए अधिदेशित करता है कि राजस्व घाटे को समाप्त किया जाना चाहिए और राजकोषीय घाटे को मार्च 2008 तक सघउ के 3 प्रतिशत तक रोके रखना चाहिए। 2004 में, अधिनियम में संशोधन कर लक्ष्य को मार्च 2009 तक आगे ले जाया गया। 2005-06 में वार्षिक राजकोषीय घाटा कमी लक्ष्य का अनुवर्तन नहीं हो सका क्योंकि केन्द्र ने बारहवें वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए उच्च अंतरण को समायोजित करने के लिए "पॉज बटन" दबा दिया था। केन्द्र का राजस्व घाटा 2007-08 में घटकर सघउ का 1.11 प्रतिशत हो गया। 1990-91 के बाद यह न्यूनतम स्तर पर था। 2008-09 में, राजस्व घाटा सघउ के 4.53 प्रतिशत के स्तर तक पहुंचते ही राजकोषीय सुधार के पूर्णतः विपरीत हो गया। 2009-10 के केन्द्रीय बजट में जो वैश्विक मंदी की पृष्ठभूमि

और घरेलू मांग की पूर्ति की तुलना में तैयार किया गया था, राजस्व घाटा सघउ का 4.83 प्रतिशत परिकल्पित किया गया।

4.8 केन्द्र का राजस्व घाटा 2003-04 में सघउ के 4.48 प्रतिशत से घटकर 2007-08 में 2.69 प्रतिशत हो गया जो कि 1990-91 के बाद न्यूनतम था। 2008-09 में गिरावट की प्रवृत्ति उलट गयी क्योंकि राजकोषीय घाटा बढ़कर सघउ के 6.14 प्रतिशत हो गया। 2009-10 में सघउ के 6.85 प्रतिशत की बजटीय व्यवस्था थी। 2008-09 में राजकोषीय सुधार के उलट जाने के कारण के संकेत पैरा 4.3 में दिये गये हैं। राजकोषीय सुधार का उलटाव पूर्णरूप से राजकोषीय प्रोत्साहन उपायों के कारण नहीं था। वेतन संशोधन, कृषि ऋण माफी और खाद्य एवं उर्वरक सब्सिडियों पर अतिरिक्त व्यय ने राजकोषीय भार पर्याप्त रूप से बढ़ाया है। 2008-09 में देखे गए राजकोषीय संकेतकों में भारी कमी का कारण इन अतिरिक्त व्यय प्रतिबद्धताओं का होना था। ईएसी ने, 2009-10 के आर्थिक दृष्टिकोण में, घाटे का कारण आर्थिक मंदी के कारण कर राजस्व में कमी तथा उत्पाद और सेवा करों में कर कटौती बताया जिसने राजकोषीय प्रोत्साहन के भाग के रूप में सघउ का लगभग 1 प्रतिशत प्रभावित किया। सारणी 4.1 में प्रस्तुत राजकोषीय घाटा आंकड़ों में 95,942 करोड़ रुपए की 2008-09 के सघउ के 1.8 प्रतिशत की राशि के तेल विपणन और उर्वरक कम्पनियों को जारी बजटेतर बॉन्ड्स शामिल नहीं हैं।

4.9. प्राथमिक संतुलन, जो 2003-04 में मामूली अधिशेष हुआ था, 2005-06 को छोड़कर 2007-08 तक अधिशेष जारी रहा। 2008-09 के वर्ष में सघउ के 2.51% प्रतिशत तक के प्राथमिक घाटे में तीव्र वृद्धि हुई। इसे 2009-10 में सघउ के 3 प्रतिशत तक बजट विहित किया गया जो कि सुधार पश्च अवधि में था। जब तक सघउ वृद्धि लोक ऋण पर ब्याज दर से अधिक नहीं हो जाती, ऋण सघउ अनुपात में प्राथमिक घाटे जुड़े।

4.10. राजस्व घाटे का राजकोषीय घाटे का अनुपात, जो उस सीमा को इंगित करता है जिस सीमा तक चालू व्यय की पूर्ति के लिए उधार उपयोग में लाए जाते हैं, यह 2003-04 से लगभग 80 प्रतिशत से घटकर 2007-08 तक 41.42 प्रतिशत हो गया। तथापि, यह समानुपात 2008-09 (सं.अ.) में लगभग 74 प्रतिशत हो गया। इस प्रकार राजकोषीय स्थिति की समीक्षा से जाहिर है कि एफआरबीएमए के अधिनियमन के बाद के वर्षों में सुधार दर्ज करने के पश्चात् सभी

सारणी 4.1 केन्द्र राजकोषीय संकेतकों विवरण

वर्ष	राजकोषीय घाटा	राजस्व घाटा	प्राथमिक घाटे	(सघउ का प्रतिशत)
				राजस्व का राजकोषीय घाटे का अनुपात (प्रतिशत)
2003-04	4.48	3.57	-0.03	79.71
2004-05	3.98	2.49	-0.05	62.57
2005-06	4.08	2.57	0.38	63.03
2006-07	3.45	1.94	-0.19	56.27
2007-08	2.69	1.11	-0.93	41.42
2008-09 (सं.अ.)	6.14	4.53	2.51	73.89
2009-10 (व.अ.)	6.85	4.83	3.00	70.51

टिप्पणी: घटाने(-) का चिह्न अधिशेष को इंगित करता है।

स्रोत: केन्द्रीय बजट दस्तावेजों से लिए गए मूल आंकड़े।

राजकोषीय संकेतकों में 2008-09 और 2009-10 में तीव्र गिरावट आई। भारतीय अर्थव्यवस्था पर वैश्विक संकट के नकारात्मक प्रभावों पर नियंत्रण कर लिया जाएगा, केन्द्र सरकार ने यथा शीघ्र राजकोषीय सुधार के एफआरबीएम राह पर लौटने का इरादा जाहिर किया है। हमें राजकोषीय समायोजन की कार्ययोजना पर पुनः वापस आने के लिए कहा गया है और केन्द्र सरकार की राजकोषीय लेखा में तेल, खाद्य और उर्वरक बांडों सम्बन्धी देयताओं की पूर्ति तथा 2010-15 में राजकोषीय समेकन के लाभों को बनाए रखने के दृष्टिकोण के साथ राजस्व लक्ष्यों पर विभिन्न अन्य देयताओं के प्रभाव की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उचित संशोधित कार्ययोजना सुझाने के लिए भी कहा गया है।

4.11 सारणी 4.2, 2003-04 और 2007-08 के मध्य केन्द्रीय वित्त व्यवस्थाओं में सुधार के संकेत दर्शाती है। 2003-04 और 2007-08 के मध्य, केन्द्र का राजस्व घाटा सघउ के 2.46 प्रतिशत तक घट गया। इस गिरावट का अधिकांश भाग कर राजस्वों में सुधार से आया। केन्द्र के राजस्व व्यय में मामूली गिरावट कम ब्याज दरों के पश्चात सम्पूर्ण रूप से ब्याज भुगतानों में गिरावट के कारण थी। राजकोषीय घाटे में कमी का अन्य कारण पूंजी व्यय में दबाव था। इस प्रकार, केन्द्र में राजकोषीय सुधार का बड़ा भाग राजस्व वृद्धि के कारण और आंशिक भाग पूंजी व्यय दबाव के कारण था।

4.12. केन्द्र सरकार की बकाया देयताएं 2004-05 में सघउ के 63.33 प्रतिशत तक पहुंचने के बाद लगातार घटना शुरु हो गयी (सारणी 4.3)। इसका यह कारण है कि अर्थव्यवस्था स्थायी ऋण सघउ अनुपात को बनाए रख सकती है और प्राथमिक-घाटा उस स्थिति तक उठा सकती है जब तक कि ऋण पर औसत सामान्य ब्याज दर सामान्य सघउ विकास दर की तुलना में कम है। 2004-05 में आंतरिक ऋण में एक नया घटक जो राजकोषीय घाटे में प्रतिबिम्बित नहीं होता है, जोड़े जाने के बावजूद भी यह गिरावट हुई। भारत सरकार ने अप्रैल, 2004 में भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श कर बाजार स्थिरीकरण योजना (एमएसएस) शुरु की। योजना के तहत, भारत सरकार विदेशी अन्तर्वाह के कारण बाजार में आयी अतिरिक्त तरलता को सोखने के लिए दिनांकित प्रतिभूतियों/राजकोषीय हुण्डी के निर्गमन के माध्यम से धन

वसूल करती है। इस तरह एकत्रित राशि भारतीय रिजर्व बैंक में एक अलग खाते में रखी जानी थी और यह सरकार की व्यय आवश्यकता की पूर्ति के लिए नहीं था। 2008-09 और 2009-10 के वर्षों में राजकोषीय घाटे में तीव्र वृद्धि के बावजूद भी बकाया ऋण का सघउ से अनुपात में इन दो वर्षों में मामूली गिरावट प्रस्तावित है।

4.13. बकाया ऋण के संघटकों में आंतरिक ऋण की हिस्सेदारी में वृद्धि हुई है। वैश्विक संकट के बाद से प्रकट हो रहे विकास के कारण, केन्द्र अपने निवल बाजार उधार में अत्यधिक वृद्धि करते हुए 2007-08 में 1,31,768 करोड़ रुपए से बढ़कर 2008-09 में 2,61,972 करोड़ रुपए तथा बाद में 2009-10 के बजट अनुमानों में 3,97,957 करोड़ रुपए हो गए। वैश्विक मंदी के बाद आरबीआई के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर हुए, जिसे फरवरी, 2009 में एमएसएस लेखा में खाते के एक भाग को सरकार के साधारण बाजार उधार कार्यक्रम के भाग के रूप में भारत की संचित निधि को हस्तांतरित किए जाने का अनुमति के लिए संशोधित किया गया। इसके बाद, 12000 करोड़ रुपए की राशि मार्च, 2009 में एमएसएस खाते से संचित निधि में अंतरित की गई।

केन्द्र के सकल कर राजस्व

4.14 बेहतर कर प्रशासन के साथ शामिल उच्च सघउ वृद्धि और "अनुषंगी लाभ कर" के रूप में नए करों की शुरुआत के परिणाम-स्वरूप विशेष तौर से 2004-05 से कर राजस्वों में उच्च वृद्धि हुई है। प्रत्यक्ष कर राजस्वों में अधिक उछाल का कारण पर्याप्त रूप से कर सूचना नेटवर्क (टीआईएन) संस्थान का अनुकरण और राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागार लिमि. द्वारा इसका कार्यान्वयन से कर अनुपालन में सुधार है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अनुसार, 2002-03 में स्रोत पर कर कटौती के लगभग 80 प्रतिशत निर्धारितियों ने रिटर्न नहीं भरा। जनवरी 2004 में टिन (टीआईएन) की स्थापना के साथ कर अनुपालन में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है।

4.15. सकल कर-सघउ अनुपात चार वर्ष की अवधि के दौरान तीन प्रतिशत से अधिक हो गया, 2003-04 में 9.23 प्रतिशत से 2007-08 में 12.56 प्रतिशत (सारणी 4.4)। सम्पूर्ण सुधार प्रत्यक्ष करों के उछाल

सारणी 4.2 केन्द्र में राजकोषीय सुधार: 2003-04 से 2007-08

(सघउ का प्रतिशत)

	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2003-04 की तुलना में 2007-08 में परिवर्तन	2008-09 (सं.अ.)	2009-10 (ब.अ.)
I जोड़ राजस्व प्राप्तियां (क+ख)	9.58	9.72	9.69	10.52	11.47	1.89	10.56	10.49
क) निवल कर राजस्व	6.79	7.14	7.54	8.50	9.31	2.52	8.76	8.10
ख) कर भिन्न राजस्व	2.79	2.58	2.15	2.02	2.17	-0.62	1.81	2.40
II राजस्व व्यय	13.14	12.20	12.26	12.46	12.58	-0.56	15.10	15.32
जिसका: ब्याज भुगतान	4.50	4.03	3.70	3.64	3.62	-0.88	3.62	3.85
III पूंजी व्यय	3.96	3.62	1.85	1.67	2.50	-1.46	1.83	2.11
IV जोड़ व्यय (II+III)	17.11	15.82	14.11	14.13	15.09	-2.02	16.93	17.43
V राजस्व घाटा (II-I)	3.57	2.49	2.57	1.94	1.11	-2.46	4.53	4.83
VI राजकोषीय घाटा	4.48	3.98	4.08	3.45	2.69	-1.79	6.14	6.85
ज्ञापन मद: ऋण भिन्न पूंजी प्राप्तियां	3.05	2.11	0.34	0.16	0.93	-2.12	0.23	0.09

स्रोत: केन्द्रीय बजट दस्तावेजों से प्राप्त मूल आंकड़े

सारणी 4.3: केन्द्र सरकार की बकाया देयताएं

(सघउ का प्रतिशत)

	1999-00	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10
										ब.अ.	सं.अ.
I लोक ऋण	39.58	41.37	43.20	44.01	43.12	42.45	41.45	39.74	40.66	40.14	42.60
जिसका:											
(क) आंतरिक ऋण	36.59	38.23	40.06	41.58	41.45	40.51	38.82	37.27	38.29	37.85	40.24
(ख) विदेशी ऋण	2.99	3.14	3.14	2.43	1.67	1.93	2.63	2.48	2.37	2.29	2.35
II अन्य देयताएं	12.72	14.22	16.75	19.51	19.92	20.88	21.68	21.49	19.41	18.79	17.09
जिसका:											
प्रारक्षित निधियां											
और जमा राशियां	2.43	2.78	3.21	3.26	3.35	2.95	3.06	3.17	2.69	2.31	2.11
जोड़ देयताएं (I+II)	52.31	55.58	59.96	63.52	63.05	63.33	63.13	61.23	60.07	58.93	59.68

टिप्पणियां: 1. बाह्य ऋण की शेष राशियां अंकित मूल्य के अनुसार हैं।

2. राष्ट्रीय लघु बचन निधियों; राज्य लघु बचत निधियों, अन्य खाते जैसे कि गैर सरकारी भविष्य निधियों और प्रारक्षित निधियों और जमाराशियों की विशेष जमाराशियों सहित अन्य देयताएं।

स्रोत: केन्द्रीय बजट दस्तावेजों से प्राप्त मूल आंकड़े।

से आया, विशेष तौर से भारतीय कॉरपोरेट क्षेत्र की बढ़ती लाभप्रदता को प्रतिबिम्बित करते हुए निगम कर से अधिक। वास्तव में, अप्रत्यक्ष कर सघउ अनुपात नब्बे के उत्तरार्द्ध से 5 और 6 प्रतिशत के बीच स्थिर है।

4.16. प्रत्यक्ष करों की उच्च वृद्धि के परिणामस्वरूप केन्द्र के सकल कर राजस्वों के संघटन में एक अन्तरण भी हुआ है। देश के सार्वजनिक वित्त व्यवस्थाओं के इतिहास में पहली बार वर्ष 2007-08 में प्रत्यक्ष कर, अप्रत्यक्ष कर संग्रहण से अधिक हुए हैं। यह स्वस्थ विकास है क्योंकि प्रत्यक्ष कर अप्रत्यक्ष कर से अधिक प्रगतिशील हैं। 1990-91 में कुल कर राजस्वों में 20 प्रतिशत की कम से, 2008-09 में प्रत्यक्ष कर हिस्सा बढ़कर 55 प्रतिशत से अधिक हो गया। आकृति 4.1 प्रत्यक्ष

और अप्रत्यक्ष कर सघउ के समानुपात के रूप वृद्धि में प्रवृत्तियां दर्शाता है।

4.17. प्रत्यक्ष करों के अन्तर्गत निगम कर का हिस्सा 2003-04 के सकल कर राजस्व के 24.99 प्रतिशत से 10 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाते हुए 2008-09 में 35.35 प्रतिशत हो गया। केन्द्र के सकल कर राजस्व में आयकर की हिस्सेदारी ने इसी अवधि के दौरान 16.27 प्रतिशत से मामूली बढ़ोतरी करते हुए 17.20 प्रतिशत दर्शाया। अप्रत्यक्ष करों के मामले में, जहां एक ओर सकल कर राजस्व में सीमा शुल्कों के हिस्से में 2003-04 और 2008-09 के बीच लगभग दो प्रतिशत की मामूली गिरावट आई, वही दूसरी ओर केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों के हिस्से 18 प्रतिशत बिन्दुओं की अधिक गिरावट दर्शायी। केन्द्रीय उत्पाद शुल्कों के हिस्से में अधिक गिरावट का मुख्य कारण कर कटौती था और हाल के

सारणी 4.4 केन्द्र में मुख्य कर: 2003-04 से निष्पादन कार्य


(सघउ का प्रतिशत)

वर्ष	निगम कर	आय कर	जोड़ प्रत्यक्ष कर	सीमा शुल्क	केन्द्रीय उत्पाद शुल्क	सेवा कर	जोड़ अप्रत्यक्ष कर	जोड़ केन्द्रीय कर राजस्व (सकल)
सघउ का प्रतिशत								
2003-04	2.31	1.5	3.81	1.77	3.30	0.29	5.42	9.23
2004-05	2.63	1.56	4.22	1.83	3.15	0.45	5.47	9.68
2005-06	2.82	1.56	4.61	1.81	3.10	0.64	5.60	10.21
2006-07	3.50	1.82	5.57	2.09	2.85	0.91	5.89	11.47
2007-08	4.08	2.17	6.61	2.20	2.62	1.09	5.95	12.56
2008-09 (सं.अ.)	4.17	2.03	6.55	2.03	2.04	1.22	5.25	11.80
2009-10 (ब.अ.)	4.38	1.82	6.32	1.67	1.82	1.11	4.63	10.95
केन्द्र के सकल कर राजस्व का प्रतिशत								
2003-04	24.99	16.27	41.31	19.12	35.69	3.10	58.69	
2004-05	27.11	16.15	43.53	18.89	32.50	4.66	56.47	
2005-06	27.66	15.29	45.12	17.77	30.38	6.30	54.88	
2006-07	30.48	15.86	48.61	18.23	24.84	7.94	51.39	
2007-08	32.52	17.30	52.63	17.55	20.84	8.65	47.37	
2008-09 (सं.अ.)	35.35	17.20	55.48	17.20	17.26	10.35	44.52	
2009-10 (ब.अ.)	40.05	16.66	57.72	15.29	16.61	10.14	42.28	

टिप्पणी: अन्य कर सहित कुल प्रत्यक्ष कर और कुल अप्रत्यक्ष कर

स्रोत: केन्द्रीय बजट दस्तावेजों से प्राप्त मूल आंकड़े

रेखाचित्र 4.1: केन्द्रीय कर-सघउ अनुपात: प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष और जोड़ (1970-71 से 2009-10 (ब.अ.))



वर्षों में, विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि में मंदी एक कारण था। यद्यपि अप्रत्यक्ष करों के हिस्से में और कमी आयी लेकिन सेवाकर से राजस्व में उछाल की वजह से ऐसा न हो सका। सेवा कर ने अपने हिस्से में सुधार करते हुए यह 2003-04 के 3.10 प्रतिशत से 2008-09 में 10.35 प्रतिशत हो गया। सेवा कर के हिस्से में बढ़ोतरी का कारण कवरेज के साथ कर दरों वृद्धि है।

कर भिन्न राजस्वों में प्रवृत्तियां

4.18 केन्द्र के कर भिन्न राजस्व में मुख्यतः ब्याज प्राप्तियां, लाभांश और बैंकों सहित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों से लाभ और आर्थिक सेवाओं की प्राप्तियां शामिल हैं। सघउ के प्रतिशत के रूप में कर भिन्न राजस्व 2003-04 के 2.79 प्रतिशत से घटकर 2008-09 में 1.81 प्रतिशत हो गया (सारणी 4.2)। इस गिरावट का मुख्य कारण, राज्यों को आगे उधार देने के सिद्धान्त का समाप्ति के कारण राज्यों से कम ब्याज प्राप्तियां और बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के बाद डीसीआरएफ के परिणामस्वरूप ब्याज राहत है। ऋण विनियम योजना जिसके अन्तर्गत राज्यों ने 2002-05 के दौरान अपने उच्च लागत वाले बकाया ऋणों को केन्द्र के निम्न लागत वाले बाजार उधारों से अदला-बदली की, जो आंशिक रूप से राज्यों द्वारा निम्न ब्याज भुगतान का परिणाम रही। केन्द्र के कर भिन्न राजस्वों में ब्याज प्राप्तियों का हिस्सा 2003-04 के 50 प्रतिशत से घटकर 2008-09 में 20 प्रतिशत से कम हो गया। अब कर भिन्न राजस्वों में प्रमुख हिस्से को लाभांश और लाभ

तथा आर्थिक सेवाओं द्वारा लेखे में लिया जाएगा। कर भिन्न राजस्व सघउ अनुपात 2009-10 में बढ़कर 2.40 प्रतिशत बजट विहित किया है। इस अनुपात में भारी सुधार की आशा 3-जी स्पेक्ट्रम की बिक्री के माध्यम से संचार क्षेत्र से है। समुद्रतटीय दूर तेल और गैस भंडार के दोहन से केन्द्र के कर भिन्न राजस्वों में और अधिक सुधार की संभावना है।

केन्द्रीय व्यय में प्रवृत्तियां

4.19. 2003-04 में सघउ के 17.11 प्रतिशत से 2006-07 में सघउ के 14.13 प्रतिशत की भारी गिरावट के बाद केन्द्र सरकार का मूल व्यय 2008-09 में बढ़कर सघउ के 16.93 प्रतिशत स्तर तक पहुंच गया। कुल व्यय का सघउ के अनुपात में गिरावट का मुख्य कारण पूंजी व्यय में कटौती है। केन्द्र का पूंजी व्यय, जो 2003-04 के सघउ का 3.96 प्रतिशत से घटकर 2006-07 से सघउ का 1.67 प्रतिशत हो गया, यह 2007-08 में बढ़कर सघउ का 2.50 प्रतिशत हो गया (सारणी 4.5)। यह सुधार मुख्यतः भारतीय स्टेट बैंक में आरबीआई पण्य प्राप्त करने के लिए आयोजना भिन्न पूंजी परिव्यय में वृद्धि के परिणाम स्वरूप था। तदुपरांत, पूंजी व्यय 2008-09 में घटकर सघउ का लगभग 2 प्रतिशत हो गया।

4.20 ब्याज भुगतानों पर व्यय, रक्षा, वेतन और भत्ते तथा सब्सिडियां केन्द्र के राजस्व व्यय के मुख्य संघटक हैं जो सम्पूर्ण का लगभग 63 प्रतिशत है। जहां एक ओर ब्याज भुगतान व्यय का सघउ का अनुपात थोड़ा सा घट गया है जिसका कारण कम ब्याज दर प्रणाली, वही दूसरी ओर रक्षा पर व्यय 2003-04 से लगभग सभी वर्षों में सघउ के 2 प्रतिशत से अधिक रहा। रक्षा कर्मचारियों को छोड़कर केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के वेतन और भत्तों पर व्यय, 2003-04 में सघउ के 1.21 प्रतिशत से 2007-08 में सघउ के 0.97 प्रतिशत पर सामान्य होने के बाद 2008-09 में सघउ का 1.33 प्रतिशत हो गया और 2009-10 में और बढ़कर 1.50 प्रतिशत होना अनुमानित है जो 2000-01 के बाद अधिकतम है। वेतन और भत्तों के अनुपात में बढ़ोतरी का मुख्य कारण छोटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों का कार्यान्वयन और 2008-09 में 40 प्रतिशत बकाया भुगतान तथा 2009-10 में 60 प्रतिशत का भुगतान है। वेतन और भत्तों पर व्यय बकाया भुगतान प्रभाव में भारी कमी के बाद आने वाले वर्षों में सामान्य हो जाएगा।

सारणी 4.5 केन्द्र सरकार के व्यय में प्रवृत्तियां

वर्ष	राजस्व व्यय	ब्याज भुगतान	रक्षा	वेतन और भत्ते	पेंशन	सब्सिडियां	(सघउ का प्रतिशत)	
							पूंजी व्यय	जोड़ व्यय
2003-04	13.14	4.50	2.18	1.21	0.58	1.61	3.96	17.11
2004-05	12.20	4.03	2.41	1.16	0.58	1.46	3.62	15.82
2005-06	12.25	3.70	2.25	1.08	0.56	1.32	1.85	14.10
2006-07	12.46	3.64	2.07	1.00	0.54	1.38	1.67	14.13
2007-08	12.58	3.62	1.94	0.97	0.51	1.50	2.50	15.09
2008-09 (सं.अ.)	15.10	3.62	2.15	1.33	0.61	2.43	1.83	6.93
2009-10 (ब.अ.)	15.32	3.85	2.42	1.50	0.60	1.90	2.11	17.43

स्रोत: केन्द्रीय बजट दस्तावेजों से प्राप्त मूल आंकड़े।

सारणी 4.6 केन्द्र की राजस्व
प्राप्तियों से सम्बन्धित सुनिश्चित सस्बिडियों

वर्ष	खाद्य	उर्वरक	अन्य	जोड़
2003-04	9.55	4.49	2.77	16.80
2004-05	8.43	5.19	1.40	15.02
2005-06	6.67	5.34	1.73	13.74
2006-07	5.53	6.04	1.59	13.15
2007-08	5.78	6.00	1.31	13.09
2008-09 (स.अ.)	7.76	13.49	1.74	22.99
2009-10 (ब.अ.)	8.54	8.13	1.43	18.11

(प्रतिशत)

स्रोत: केन्द्रीय बजट दस्तावेजों से प्राप्त मूल आंकड़े

4.21. सुनिश्चित सस्बिडियों पर व्यय ब्याज भुगतानों और रक्षा के बाद राजस्व व्यय की तीसरी सबसे बड़ी मद है। खाद्य और उर्वरक सस्बिडियां केन्द्र द्वारा प्रदत्त मुख्य सुनिश्चित सस्बिडियां हैं। यद्यपि पेट्रोलियम उत्पादों के लिए प्रशासित मूल्य कार्यप्रणाली का समाप्त कर दिया था। फिर भी केन्द्रीय बजट में केरोसीन और कुकिंग गैस के लिए सुनिश्चित सस्बिडियां दी जाती हैं। सघउ के अनुपात के रूप में सुनिश्चित सस्बिडियां, 2004-05 से 2007-08 तक सामान्य होने के बाद से बढ़ रही हैं जिसका कारण जिंग्स मूल्यों, विशेष तौर से खाद्य ईंधन और उर्वरक में सुदृढ़ता है।

4.22. सारणी 4.6 मुख्य सुनिश्चित सस्बिडियों में प्रवृत्तियों को केन्द्र के राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के रूप में प्रस्तुत करते हैं। खाद्य सस्बिडी अधिप्राप्ति मूल्य और खाद्यान्नों की रखाव लागत तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के निर्गम मूल्य के बीच का अन्तर होती हैं। केन्द्र की कुल राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के रूप में खाद्य सस्बिडी पर व्यय ने 2004-05 और 2006-07 के मध्य कुछ सामान्य स्थिति दर्शाई। तथापि, उसके बाद खाद्य सस्बिडी में पिछले वर्ष के 31,328 करोड़ रुपए के स्तर से अत्यधिक बढ़ोतरी करते हुए 2008-09 में 43,627 करोड़ रुपए हो गए। इस वृद्धि का कारण खाद्यान्नों के न्यूनतम समर्थन मूल्यों और अधिप्राप्ति किए गए खाद्यान्नों की प्रमात्रा में बढ़ोतरी है। चावल की अधिप्राप्ति 2007-08 में 26.3 मिलियन टन से बढ़कर 2008-09 में 32.8 मिलियन टन हो गयी जबकि गेहूं की अधिप्राप्ति इसी अवधि में 11.1 मिलियन टन से बढ़कर दुगुने से अधिक होकर 22.7 मिलियन टन हो गयी। इसके अतिरिक्त, अधिप्राप्ति और रखाव लागत बढ़ी है जबकि निर्गम मूल्य 1 जुलाई 2002 से अपरिवर्तित ही रहा है। ये विकास खाद्य सस्बिडी पर व्यय की वृद्धि में प्रतिबिम्बित है जो 2007-08 में केन्द्र की कुल राजस्व प्राप्तियों के 5.78 से बढ़कर 2008-09 में 7.76 प्रतिशत हो गयी। इसे 2009-10 में राजस्व प्राप्तियों का 8.54 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए बजट विहित किया गया है। आंध्रप्रदेश, हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश की 2007-08 की खरीफ के मौसम में चावल की अधिप्राप्ति समवेत रूप में 69.5 प्रतिशत थी, जबकि हरियाणा और पंजाब मात्र दो राज्यों की गेहूं की अधिप्राप्ति 2007-08 की रबी के मौसम में 91.1 प्रतिशत थी।

4.23. दूसरी सबसे बड़ी सुनिश्चित सस्बिडी है, उर्वरक, जो 2004-05 और 2007-08 के बीच राजस्व प्राप्तियों का 5-6 प्रतिशत की रेंज में थी, लेकिन 2008-09 में अचानक बढ़कर 13.49 प्रतिशत हो गयी। समग्र अर्थों में, उर्वरक सस्बिडी 2007-08 के 32,490 करोड़ रुपए से बढ़कर 2008-09 में 75,849 करोड़ रुपए हो गयी। इस सस्बिडी को

किसानों को निश्चित न्यूनतम खुदरा मूल्य (एमआरपी), एक मूल्य जो प्रशासनिक रूप से निर्धारित है, और उर्वरकों के प्रकार से भिन्न है, तैयार किया गया है। इस प्रबन्ध से उर्वरकों के देशी उत्पादन में ताजा निवेश पूर्णतः हतोत्साहित हुआ है। संविदा लागत फार्मुला सुधरी हुई उत्पादन क्षमता के लिए थोड़ी प्रेरक है। स्थिर घरेलू उत्पादन का परिणाम कुछ समय बाद आयात स्वतंत्रता में बढ़ोतरी के रूप में हुआ है। भारत निर्धारित मूल्य पर सस्बिडी प्रदत्त उर्वरक की प्रतिबद्धता वाला मुख्य आयातक है, जो अन्तरराष्ट्रीय उर्वरक ओलिगोपोली की दया पर निर्भर है। सस्बिडी विस्फोटक रूप से बढ़ी है क्योंकि सस्बिडी मूल्य को 2001 से संशोधित नहीं किया गया है, जबकि उर्वरक उत्पादन में निविष्टियों का मूल्य उर्वरक आयातों के रूप में है जो पर्याप्त रूप से बढ़े हैं, जिसे विपरीत अन्तरराष्ट्रीय बाजार संरचना द्वारा तीव्र किया गया। इसके अतिरिक्त बढ़ती हुई सस्बिडी हुण्डी के बावजूद उर्वरकों का उपयोग कृषि उत्पादन में वृद्धि के समानुपात के रूप में नहीं हुआ। दूसरी तरफ, मूल्य पैटर्न का पोषण उपयोग के पैटर्न पर विकृत रूप में प्रभाव पड़ा जिसके परिणामस्वरूप उर्वरक प्रतिक्रिया अनुपातों में गिरावट हुई।

4.24. केन्द्र सरकार के बजट में सुनिश्चित सस्बिडियों में तेल विपणन और उर्वरक कम्पनियों को जारी बजटेतर बांड शामिल नहीं है। यद्यपि पेट्रोलियम उत्पादों की प्रशासित मूल्य व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया, फिर भी पेट्रोलियम उत्पाद मूल्यों में कोई विनियमितीकरण नहीं हुआ है। कच्चे तेल का अन्तरराष्ट्रीय मूल्य 2004 के 38 अमरीका डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 2005 में 54 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल हो गया तथा बाद में अप्रैल-जून 2006 में 70 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल हो गया। इसके बाद जुलाई 2008 में तीव्र वृद्धि दर्शाते हुए 147 अमरीकी डॉलर प्रति बैरल हो गया। कच्चे तेल के मूल्यों में इस वृद्धि से उर्वरक आयातों के मूल्यों में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई। सरकार के निर्धारित मूल्यों पर पेट्रोलियम उत्पादों का बिक्री के लिए तेल विपणन कम्पनियों को आंशिक क्षतिपूर्ति के लिए, सरकार ने तेल कम्पनियों को बांड जारी करने शुरू किए हैं। तेल बांडों का मूल्य जो 2005-06 से 2007-08 तक के वर्षों में सघउ का लगभग 0.50 प्रतिशत था, 2008-09 में तीव्र वृद्धि दर्शाते हुए 1.43 प्रतिशत हो गया। ऑइल बॉड पेट्रोलियम उत्पादों की सस्बिडी के विस्तार पूर्ण रूप से नहीं दर्शाते। महत्वपूर्ण तेल कम्पनियों और तेल विपणन कम्पनियों में पेट्रोलियम उत्पादों पर वसूली कम होती है। उर्वरक कम्पनियों को बांड जारी करने का कार्य 2007-08 में शुरू किया गया। सघउ प्रतिशत के रूप में उर्वरक बांड 2007-08 के सघउ के 0.16 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09 में सघउ का 0.38 प्रतिशत हो गया। तेल विपणन कम्पनियों, उर्वरक कम्पनियों और अन्य संस्थानों को जारी बजटेतर बांडों को शामिल करते हुए बढ़ा हुआ राजस्व और राजकोषीय घाटा 2008-09 में क्रमशः 6.34 और 7.99 प्रतिशत होगा।

4.25. हमारे द्वारा प्रवर्तित और राष्ट्रीय लोक वित्त एवं नीति संस्थान (एनआईपीएफपी) द्वारा क्रियान्वित अध्ययन खाद्य, उर्वरक और पेट्रोलियम उत्पादों पर सुनिश्चित सस्बिडी की सभी मुख्य सस्बिडियों की प्रतिगामी प्रकृति को दर्शाती है। बिहार, झारखण्ड, मध्यप्रदेश, उड़ीसा, और उत्तर प्रदेश जैसे गरीब राज्यों में प्राप्त प्रति व्यक्ति सुनिश्चित सस्बिडियां सभी राज्यों के औसत की तुलना में काफी कम पायी गयी हैं। सस्बिडी व्यवस्था में निहित कमियों के बावजूद, सुधार मुख्य नीति

चुनौती बना हुआ है। सब्सिडियां सार्वजनिक व्यय के अन्य घटकों से भिन्न होती हैं, जिसका लक्ष्य रक्षा जैसे लोकहित का प्रावधान होता है। सब्सिडियां निजी उपयोग तथा/अथवा उत्पादन निविष्टियों में विभिन्न प्रकार से इस प्रकार सहायता करती हैं कि इसे निर्धारित करना मुश्किल होता है। जब तक सब्सिडियों की छंटाई और बेहतर लक्ष्य निर्धारित नहीं होता, तब तक सार्वजनिक अवसंरचना में निवेश को कष्ट झेलना पड़ेगा। तेल सब्सिडी के सम्बन्ध में बढ़ रहे अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों का तुलना में घरेलू ग्राहकों को पृथक का वर्तमान प्रणाली की निरंतरता देश के राजकोषीय स्थिति में बड़ी बाधा होगी और संरक्षण वाद सिद्धान्त के विरुद्ध होगी। अधिक विकसित राज्यों के असमानुपातिक लाभ के अलावा, तेल सब्सिडी का पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव है।

सारांश

4.26. संक्षेप में, हाल ही के वर्षों में केन्द्र के वित्त व्यवस्थाओं में मुख्य प्रवृत्तियां निम्नलिखित हैं:

- राजकोषीय सुधार राह में 2005-06 में रूकावट के बाद, 2007-08 से एफआरबीएम अधिनियमन का अनुसरण कर्मोबेश रहा। बड़ी संख्या में विकास विशेष तौर से आर्थिक मंदी और राजस्व वृद्धि पर इसका विपरीत प्रभाव, बढ़ते हुए जिस मूल्य, मंदी विरोधी उपाय, कृषि ऋण राहत और छठे केन्द्रीय वेतन आयोग का सिफारिशों के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप और खराब हुआ है। 2007-08 तक प्राप्त राजकोषीय सुधार के विपरीत प्रभाव से दूर गए।
- 2008-09 और 2009-10 में सभी राजकोषीय संकेतकों में गिरावट के बावजूद ऋण सघउ अनुपात स्थिर रहा, अथवा मामूली गिरावट आई। यह नॉमिनल सघउ की वृद्धि का कारण था जो औसत नॉमिनल ब्याज दर से अधिक रहा।
- यद्यपि कर-सघउ अनुपात 2008-09 में कम हो गया है, यह अभी भी 2004-05 के स्तर से अधिक है। 2008-09 में कुल कर सघउ में गिरावट और तेज हो गयी होती लेकिन निगम कर और सेवा-कर के राजस्व में उछाल की वजह से ऐसा न हो सका। 2008-09 तक इन करों के कर सघउ अनुपातों में वृद्धि लगातार बनी रही। कॉरपोरेट कर से राजस्व में उछाल के साथ, प्रत्यक्ष करों से राजस्व, 2007-08 में अप्रत्यक्ष करों के राजस्व से पहली बार अधिक हुआ।
- सघउ से सम्बन्धित केन्द्र के कुल व्यय ने 2003-04 और 2006-07 के बीच महत्वपूर्ण संतुलन दर्शाया, जिसके बाद इसने पूंजी व्यय में संतुलन के बावजूद भी पुनः बढ़ना शुरू किया। बढ़ते हुए राजस्व व्यय से विशेष तौर से 2008-09 और 2009-10 में कुल व्यय में वृद्धि हुई। राजस्व व्यय में वेतन और भत्ते तथा सब्सिडियों पर व्यय में तीव्र बढ़ोतरी हुई।
- राजकोषीय सुधार की बहाली केन्द्र में स्थाई राजकोषीय स्थिति प्राप्त करने के लिए निर्णायक है। यद्यपि अन्तरराष्ट्रीय तेल मूल्यों में कमी से कुछ राहत मिली, फिर भी उच्च वृद्धि पथ पर लौटने और विस्तृत राजकोषीय अवस्थिति से बाहर निकलने की कार्य योजना प्रतिचक्रिक उपायों के रूप में अपना राजकोषीय सुधार में महत्वपूर्ण होगा। हाल ही के वर्षों में, केन्द्र की बजटेंतर देयताएं चेतावनी रूप में बढ़ीं। 2008-09 में तेल विपणन और

उर्वरक कम्पनियों को जारी बजटेंतर बॉडों की राशि 95,942 करोड़ रुपए अथवा सघउ का 1.80 प्रतिशत थी।

राज्य वित्त व्यवस्थाओं की समीक्षा

4.27. राज्य वित्त व्यवस्थाओं में सुधार लगभग 2004-05 से शुरू हुआ, अर्थ व्यवस्था की उच्च वृद्धि दर से सहायता मिली और परिणाम स्वरूप राज्यों के स्वयं के कर राजस्वों और केन्द्रीय अन्तरणों की उछाल में वृद्धि हुई। इस सुधार के बाद बारहवें वित्त आयोग की सिफारिश कि निवल केन्द्रीय करों में राज्यों का हिस्सा 29.5 प्रतिशत से 30.5 प्रतिशत होगा, से तेजी आई। बारहवें वित्त आयोग ने यह भी सिफारिश की कि ऋण बट्टे खाते के साथ मार्च 2004 तक संविदा की गई और 31 मार्च 2005 को बकाया केन्द्रीय ऋणों के समेकन वाले ऋण समेकन और राहत सुविधा(डीसीआरएफ) राज्यों के राजस्व घाटे की कमी और 2004-05 स्तर पर राजकोषीय घाटे की समाहिता से जुड़ा। राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन विधान के अधिनियमन को डीसीआरएफ के तहत लाभ प्राप्त करने वाले राज्यों के लिए पूर्व शर्त बनाया गया। बारहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की कि प्रत्येक राज्य एफआरएल अधिनियमित करे जो 2008-09 तक राजस्व घाटा मिटाये और जीएसडीपी के 3 प्रतिशत तक राजकोषीय घाटे में कमी करनी चाहिए। बारहवें वित्त आयोग द्वारा लगायी गई शर्त इस पूर्व शर्त का अनुसरण करते हुए, 21 राज्यों में एफआरएल 2005-06 से लागू किया गया। कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पंजाब और उत्तर प्रदेश ने बारहवें वित्त आयोग द्वारा लगायी गयी इस शर्त से पहले ही राजकोषीय उत्तर दायित्व विधान को अधिनियमित कर दिया था। मात्र पश्चिम बंगाल और सिक्किम राज्य है जिन्हे अभी ऐसा करना है। एफआरएल के अधिनियमन से राज्यों द्वारा बजट बनाने में अनुशासन आया। राज्य वित्त व्यवस्थाओं के महत्वपूर्ण सुधार वाली अन्य मुख्य घटनाएं 2005-06 में मुख्य राज्यों द्वारा वेट (वीएटी) की शुरुआत थी। इससे सकल विन्दु बिक्री कर के पूर्व के स्थान वाले को बदला कर राज्यों के कराधार में सुधार हुआ है।

समग्र राजकोषीय संकेतकों में प्रवृत्तियां

4.28. अर्थव्यवस्था की उच्च वृद्धि के बाद राजस्व और केन्द्रीय अन्तरणों में उछाल से सहायता मिली। 2004-05 से 2007-08 तक राज्यों के लगभग सभी राजकोषीय संकेतकों में लगातार सुधार हुआ (सारणी 4.7)। राज्यों के राजस्व लखें में 2004-05 के सघउ के 1.25 प्रतिशत घाटे से 2006-07 में अधिशेष हुआ। राजकोषीय घाटा 2004-05 के 3.40 प्रतिशत से महत्वपूर्ण रूप से घटकर 2007-08 में सघउ का 1.51 प्रतिशत हो गया। प्राथमिक सन्तुलन भी 2004-05 के सघउ के 0.65 प्रतिशत घाटे से 2006-07 में अधिशेष भी हुआ। राजस्व लेखा पर अधिशेष ने राज्यों को आपनी पूंजी व्यय को बढ़ाने के लिए अधिक राजकोषीय गुंजाइश पैदा किया। अन्य राजकोषीय संकेतकों के समानान्तर, ऋण सघउ अनुपात ने की गिरावट की प्रवृत्ति दर्शायी।

4.29 राज्यों द्वारा राजकोषीय सुधार में योगदान देने वालें कारक सारणी 4.8 में, प्रदर्शित हैं। 2004-05 और 2007-08 के मध्य राज्यों की कुल राजस्व प्राप्तियों में सघउ का 1.71 प्रतिशत का महत्वपूर्ण सुधार हुआ। जहां एक और राजस्व प्राप्तियों के सभी संघटकों ने इस सुधार में योगदान दिया, वहीं दूसरी ओर प्राथमिक योगदान कारक स्वयं के कर राजस्व के बाद केन्द्र से अन्तरण है। इस अवधि के दौरान राजस्व व्यय सघउ का 0.47 प्रतिशत घट गया जिसका मुख्य कारण

सारणी 4.7: समग्र राज्य वित्त व्यवस्था: राजकोषीय संकेतक

(सघउ का प्रतिशत)

वर्ष	राजस्व घाटा	राजकोषीय घाटा	प्राथमिक घाटा	राजस्व घाटा/ राजकोषीय घाटा	ऋण/सघउ
2004-05	1.25	3.40	0.65	36.77	32.49
2005-06	0.19	2.56	0.20	7.52	31.81
2006-07	-0.71	1.69	-0.60	-41.98	29.73
2007-08	-0.94	1.51	-0.61	-62.46	27.59

टिप्पणी: ऋणात्मक चिह्न (-) अधिशेष दर्शाता है।

स्रोत: राज्य वित्त लेखा से प्राप्त मूल आंकड़े

ब्याज भुगतानों में सघउ का 0.63 प्रतिशत गिरावट है। इस प्रकार केन्द्र के मामले में राज्यों के स्तर पर समग्र राजकोषीय सुधार मुख्यतः राजस्व प्रभावित विशेष तौर से केन्द्र से अन्तरणों के माध्यम से है। यदि डीसीआरएफ के लाभ बारहवें वित्त आयोग द्वारा सुझाए अनुसार शामिल किया जाता है तो राज्यों को केन्द्रीय अन्तरण सारणी 4.8 में दिए गए आंकड़ों से कहीं अधिक होगा। डीसीआरएफ के तहत, 1,13,601 करोड़ रुपए की राशि का केन्द्रीय ऋण समेकन किया गया और 18.717 करोड़ रुपए की राशि को 2008-09 के अंत तक बट्टे खाते डाला गया है। राज्यों द्वारा प्राप्त ब्याज राहत 2005-09 की अवधि के चार साल में 15,689 करोड़ रुपए राशि की थी।

4.30 वैश्विक आर्थिक मंदी में प्रतिचक्रिक उपायों के भाग के रूप में, केन्द्र ने 2008-09 में राज्यों की बाजार उधार सीमा को 30,000 करोड़ रुपए बढ़ा दिया और 2008-09 में उनके राजकोषीय घाटा लक्ष्य को 0.50 प्रतिशत बिन्दु तक बढ़ने और जीएसडीपी की 3.5 प्रतिशत तक की अनुमति भी दी। राजकोषीय घाटा लक्ष्य 2009-10 जीएसडीपी के 4 प्रतिशत तक बढ़ा। राजस्व घाटे को समाप्त करने का लक्ष्य अन्तरित होकर 2009-10 किया गया। 2008-09 के संशोधित अनुमान और 2009-10 के बजट अनुमान राज्यों के समग्र वित्त व्यवस्थाओं में गिरावट को इंगित करते हैं जिसका कारण एक ओर निजी राजस्वों की कम वृद्धि और केन्द्र से अन्तरण प्रथा दूसरी ओर राजस्व व्यय में वृद्धि। राज्यों का राजस्व अधिशेष 2007-08 के सघउ के 0.94 प्रतिशत से

घटकर 2008-09 (सं.अ.) में 0.27 प्रतिशत हो गया। राजकोषीय घाटा 2008-09 में सघउ का 1.13 प्रतिशत से 2.64 प्रतिशत बढ़ गया। राज्यों के राजस्व लेखा विगत तीन वर्षों में अधिशेष दर्ज करने के बाद 2009-10 (ब.अ.) में सघउ का 0.50 प्रतिशत घाटा अनुमानित है। राज्यों का समग्र राजकोषीय घाटा 2004-05 में प्राप्त स्तर के निकट 2009-10 में सघउ के 3.23 प्रतिशत की बढोतरी के लिए बजट विहित है। राज्यों का प्राथमिक शेष, जो 2006-07 और 2007-08 में अधिशेष रहा, 2008-09 (सं.अ.) और 2009-10 (ब.अ.) में क्रमशः सघउ का 0.68 औ 1.28 प्रतिशत के घाटे में बदल गया।

राज्यों के समग्र राजस्व में प्रवृत्तियां

4.31 2004-05 और 2007-08 में मध्य राज्यों की राजस्व प्राप्तियों के सभी संघटकों में सुधार हुआ था। सघउ के समानुपात के रूप में स्वयं के कर राजस्वों ने 2004-05 के 5.78 प्रतिशत से सुधर कर 2007-08 में 6.07 प्रतिशत हो गया जो अब तक सबसे अधिक था (सारणी 4.9)। कर-भिन्न राजस्व, यद्यपि मंद रूप से, इसी अवधि में 1.47 प्रतिशत से 1.63 प्रतिशत हो गया। केन्द्रायि करों में हिस्सा जिसके बारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसरण से अत्यधिक सुधार हुआ, बाद में बारहवें वित्त आयोग की अर्वार्ड अवधि में सुधार आया। सघउ के प्रतिशत के रूप में केन्द्रीय करों में हिस्सा 2004-05 के 2.49 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में 3.22 प्रतिशत हो गया।

सारणी 4.8: राज्य वित्त व्यवस्था: राजकोषीय सुधार के स्रोत

(सघउ का प्रतिशत)

	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	परिवर्तन 2007-08/ 2004-05	2008-09 (सं.अ.)	2009-10 (ब.अ.)
I. जोड़ राजस्व (क+ख)	11.49	11.99	12.92	13.20	1.71	13.87	13.60
क. स्वयं का राजस्व	7.25	7.24	7.73	7.70	0.45	7.70	7.60
i) कर राजस्व	5.78	5.91	6.11	6.07	0.29	6.21	6.27
ii) कर-भिन्न राजस्व	1.47	1.33	1.62	1.63	0.16	1.50	1.33
ख. केन्द्र से अन्तरण	4.24	4.75	5.18	5.50	1.26	6.16	6.00
i) कर हिस्सा	2.49	2.65	2.92	3.22	0.73	3.26	3.17
ii) अनुदान	1.75	2.10	2.27	2.29	0.54	2.90	2.83
II. राजस्व व्यय	12.73	12.18	12.21	12.26	-0.47	13.59	14.09
जिसका: ब्याज भुगतान	2.75	2.36	2.29	2.12	-0.63	1.96	1.95
III. जोड़ व्यय	14.62	14.33	14.53	14.73	0.11	16.53	16.73
IV. राजस्व घाटा	1.25	0.19	-0.71	-0.94	-2.19	-0.27	0.50
V. राजकोषीय घाटा	3.40	2.56	1.69	1.51	-1.89	2.64	3.23
VI. प्राथमिक घाटा	0.65	0.20	-0.60	-0.61	-1.26	0.68	1.28
स्रोत: ऋण-भिन्न पूंजी प्राप्तियां	0.26	0.25	0.18	0.17	-0.09	0.31	0.12

सारणी 4.9: समग्र राज्य राजस्व प्राप्ति में प्रवृत्तियां

(सघउ का प्रतिशत)

वर्ष	निजी कर राजस्व	निजी कर भिन्न राजस्व	केन्द्रीय करों में हिस्सा	आयोजना अनुदान	आयोजना भिन्न अनुदान	जोड़ राजस्व
2004-05	5.78	1.47	2.49	1.31	0.44	11.49
2005-06	5.91	1.33	2.65	1.21	0.89	11.99
2006-07	6.11	1.62	2.92	1.44	0.82	12.92
2007-08	6.07	1.63	3.22	1.57	0.72	13.20

स्रोत: राज्य वित्त लेखा से प्राप्त मूल आंकड़े

4.32. निवल केन्द्रीय कर राजस्व की हिस्सेदारी में राज्यों के क्षेत्र में केन्द्र के सकल कर राजस्व में उपकर और सरचार्ज का समानुपात 2001-02 के 3.51 से बढ़कर 2009-10(ब.अ.) में 13.63 प्रतिशत हो गया। इससे राज्यों के साथ हिस्सेदारी वाले निवल कर राजस्वों के केन्द्र के सकल कर राजस्व में समानुपात में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई।

4.33 केन्द्रीय करों की हिस्सेदारी से सम्बन्धित दूसरा मुद्दा राज्यों को सुपुर्द किए गए केन्द्र के निवल कर राजस्व में वास्तविक हिस्सेदारी से सम्बद्ध है। सभी केन्द्रीय करों के निवल लाभ की हिस्सेदारी को बनाने वाले संविधान के 80 वें संशोधन की अनुपालन करते हुए ग्यारहवें और बारहवें वित्त आयोग ने सिफारिश की कि केन्द्रीय करों के निवल लाभों के राज्यों के हिस्से को क्रमशः 29.5 प्रतिशत और 30.5 प्रतिशत पर निर्धारित किया जाए। वित्त लेखों के अनुसार राज्यों को सुपुर्द वास्तविक हिस्सा इन आयोग के सुझाए प्रतिशत से कम रहा। 2005-06, 2006-07 और 2007-08 में राज्यों को सुपुर्द वास्तविक हिस्से बारहवें वित्त आयोग अवार्ड के पहले तीन वर्ष जिसके वित्त लेखा उपलब्ध हैं, केन्द्र के निवल धारणीय कर राजस्व के क्रमशः 29.36, 28.95 और 29.64 प्रतिशत है। वित्त मन्त्रालय ने स्पष्ट किया है कि केन्द्रीय वित्त लेखों में रिपोर्ट की गई राशि उपकरों और सरचार्जों के तहत वास्तविक संग्रहणों को पूर्णतः कवर नहीं करती और इन लेखों के बाद राज्यों को जारी राशियां वित्त आयोगों द्वारा सुझाए गए निवल केन्द्रीय करों में उनके हिस्से में समानान्तर है। हमारा दृष्टिकोण है कि वर्तमान प्रक्रिया में और अधिक पारदर्शिता की आवश्यकता है। अतः हम यह सिफारिश करते हैं कि इस मामले की छान-बीन वित्त मन्त्रालय द्वारा इस सुनिश्चय की दृष्टि से किया जाए कि वित्त लेखा संबंधित शीर्षों के तहत उपकरों और सरचार्जों के अन्तर्गत संग्रहणों को रूप में प्रतिबिम्बित करें ताकि किसी वर्ष में राज्यों को

जारी राशियों और उस वर्ष के लिए वित्त आयोग द्वारा सुझाए निवल केन्द्रीय करों के अपने प्रतिशत हिस्से में कोई असंगति-दिखायी दे।

4.34. चिन्ता का एक अन्य विषय केन्द्र द्वारा बढ़ाए गए कर रियायतें हैं। पारदर्शिता की रूचियों में, केन्द्रीय बजट कर रियायतों के परिणाम के रूप में पूर्व निश्चित राजस्व आंकड़ों का विवरण देता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों करों के सन्दर्भ में, कर रियायतों के कारण हुआ राजस्व घाटा वर्ष 2008-09 का 4,18,095 करोड़ रूपए अनुमानित था। राष्ट्रीय लोक वित्त और नीति संस्थान (एनआईपीएफपी), आयोग ने चुनिंदा छूटों और कर वरीयताओं के कारण पूर्वनिश्चित राजस्व का आवंटन किया है जो प्रत्यक्ष करों में कर व्यय 65 प्रतिशत और प्रत्येक राज्य के अनुमानित हिस्से पर आधारित सभी राज्यों में उत्पाद शुल्क के प्राप्ति बजट में दिए गए उन विवरणों का लगभग 18 प्रतिशत है। यह परीक्षण दर्शाता है कि हिमाचल प्रदेश और उत्तराखण्ड क्षेत्र छूटों के कारण कर व्ययों से प्रति व्यक्ति लाभ के सन्दर्भ में अन्य राज्यों से आगे है। क्षेत्र आधारित छूटों को छोड़कर कर्नाटक 922 रूपए के प्रति व्यक्ति लाभ के साथ शीर्ष के रूप में उभरा है इसके बाद हरियाणा और गोवा 700 रूपए प्रत्येक का प्रति व्यक्ति लाभ है। प्रति व्यक्ति लाभ गरीब राज्यों में काफी कम है। इससे अपेक्षाकृत राज्यों विकसित से प्राप्त अनुपात और बड़े राजस्व घाटे वाले कर छूटों के जारी रखने के तर्काधार के बारे में प्रश्न उठता है। कई सारे छूटों को समाप्त करने करने का सशक्त आधार है। यह माल एवं सेवा कर (जीएसटी) की प्रस्तावित शुरुआत के साथ सामान्य तरीके से होना चाहिए।

4.35. राजस्व प्राप्ति में अन्य घटकों में आयोजना और आयोजना भिन्न अनुदानों में सुधार 2004-05 और 2007-08 के मध्य क्रमशः सघउ का 0.26 और 0.28 प्रतिशत था। सभी घटकों को मिलाते हुए,

सारणी 4.10: समग्र राज्य वित्त व्यवस्थाएं: व्यय संकेतक

(सघउ का प्रतिशत)

वर्ष	जोड़ राजस्व व्यय	ब्याज भुगतान	पेंशन	आयोजना राजस्व व्यय	आयोजना भिन्न राजस्व व्यय	पूंजी व्यय
2004-05	12.74	2.75	1.18	1.89	10.85	1.88
2005-06	12.18	2.36	1.14	1.94	10.24	2.14
2006-07	12.21	2.29	1.13	2.17	10.04	2.32
2007-08	12.26	2.12	1.19	2.39	9.88	2.47

स्रोत: राज्य वित्त लेखा से प्राप्त मूल आंकड़े

कर व्यय के अनुमान अत्याधिक प्रभाव विश्लेषण पर आधारित हैं जिसमें यह माना गया कि मूल कर आधार कर छूटों के हटाने से प्रभावित नहीं होंगे और सभी अन्य कर प्रावधान अपरिवर्तित रहेंगे। ये मान्यताएं सभी मामलों में अच्छी नहीं हो सकती। इस प्रकार कर व्यय के अनुमान काफी सीमाओं के अधीन हैं और केवल संकेत के रूप में ही ली जा सकती हैं। इसके अतिरिक्त, सीमा शुल्क के मामले में पूर्वनिश्चित शुल्क को संग्रहण दर और अधिनियमित दर के बीच के अन्तर के रूप में अनुमानित किया गया है जबकि बाद में प्रशासनिक अधिसूचना द्वारा पर्याप्त रूप से घटा दिया जाएगा।

सभी राज्यों की राजस्व प्राप्तियां 2004-05 के 11.49 प्रतिशत से बढ़कर 2007-08 में सघउ का 13.20 प्रतिशत हो गयी।

राज्यों के समग्र व्यय में प्रवृत्तियां

4.36. राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि की तुलना में, आयोजना राजस्व व्यय के अपवाद को छोड़कर, राजस्व व्यय के सभी घटकों ने 2004-05 से 2007-08 (सारणी 4.10) की अवधि में गिरावट की प्रवृत्ति दर्शाई। सघउ के प्रतिशत के रूप में कुल राजस्व व्यय 2004-05 के 12.74 प्रतिशत से घटकर 2007-08 में 12.26 प्रतिशत हो गया। कुल राजस्व व्यय में, जबकि आयोजना-भिन्न व्यय ने 10.85 प्रतिशत से तीव्र गिरावट दर्शाते हुए 9.88 प्रतिशत हो गया, आयोजना व्यय इसी अवधि में 1.89 प्रतिशत से बढ़कर 2.39 प्रतिशत हो गया। ब्याज भुगतान 2004-05 में सघउ के 2.75 प्रतिशत से संयत हो कर 2007-08 में 2.12 प्रतिशत हो गया। इस गिरावट का कारण डीसीआरएफ से राज्यों द्वारा प्राप्त ब्याज राहत हो सकती है जो 2005-09 की अवधि की तुलना में 15,689 करोड़ रुपए की राशि थी। ऋण विनियम योजना, जो 2002-05 के दौरान प्रचालन में थी, ने भी ब्याज भुगतानों में कमी करने में योगदान दिया। उच्च-लागत ऋण की 1,02,034 करोड़ रुपए की राशि की इस योजना के तहत विनियम किया गया, परिणाम स्वरूप राज्यों के ब्याज भुगतानों में बचते हुई। तथापि, राजस्व व्यय में कमी को बनाए रखना मुश्किल है जो भुगतान संशोधनों के कारण है। कुछ राज्यों ने छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के प्रकाश में कर्मचारियों के वेतनों को संशोधित किया है। कर्नाटक और केरल ने अपने वेतनों को क्रमशः 2007 और 2004 में संशोधित किया है। राज्यों के आयोजना राजस्व व्यय में वृद्धि केन्द्र प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से वर्धित अन्तरणों के कारण है।

4.37. वर्ष 2006-07 और 2007-08 में राजस्व व्यय में कमी और राजस्व लेखा में अधिशेष के बाद 2004-05 से 2007-08 की अवधि में राज्यों के पूर्ण पूंजी व्यय में सुधार दर्ज हुआ। 2004-05 और 2007-08 के मध्य राज्यों का कुल पूंजी व्यय सघउ का 0.59 प्रतिशत तक बढ़ गया।

विद्युत और सिंचाई सब्सिडियां

4.38. विद्युत क्षेत्र की सब्सिडी राज्य सरकार की सब्सिडियों में सबसे बड़ी है। ज्यादातर राज्य विद्युत यूटिलिटीयों (एसपीयू) में नकारात्मक वित्तीय प्रवाह हुआ। जैसे की एपीयू पूर्ण रूप से राज्य सरकारों के स्वामित्व में है, अतः इन संस्थानों का वित्तीय निष्पादन प्रत्यक्ष रूप से राज्य वित्त व्यवस्था पर आधारित है। एसपीयू को राज्य सरकारों की सहायता में मुख्यतः प्रत्यक्ष सब्सिडी, सहायता, इक्विटी में अंशदान, प्रत्यक्ष ऋण और जुटाए गए ऋणों को गारंटी शामिल है। आयोग द्वारा प्रायोजित अध्ययन के अनुसार राज्य वित्त व्यवस्थाओं पर एसपीयू को सहायता का समग्र प्रभाव 2007-08 में लगभग 30,000 करोड़ रुपए की राशि थी। इसमें से राज्य सरकारों द्वारा प्रदान की गई प्रत्यक्ष सब्सिडी लगभग 18,000 करोड़ रुपए थी। विद्युत क्षेत्र द्वारा लिए गए ऋणों पर दी गई गारंटियां 2007-08 में राज्य सरकारों द्वारा दी गई कुल गारंटियों का 36 प्रतिशत थी। ज्यादातर राज्यों में विद्युत क्षेत्र में उच्च तकनीकी और वाणिज्यिक घाटे, असंगत विद्युत टैरिफ और अदक्ष वितरण और ट्रांसमिशन अवसंरचना के परिणामस्वरूप बड़े घाटे से समस्याएं आई हैं। विद्युत क्षेत्र में घाटे से राज्य सरकारों की वित्त व्यवस्थाओं

पर एक बड़ा संकट आने की आशंका है और इसीलिए इस क्षेत्र की समस्याओं की समयबद्ध तरीके से हल किए जाने की आवश्यकता है।

4.39. सिंचाई क्षेत्र की सब्सिडियां जो उपभोक्ता प्रभारों की सकल कम वसूली से उत्पन्न हैं, मुख्यतः स्वरूप में अस्पष्ट हैं। सिंचाई क्षेत्र में संचयी आम निवेश दसवीं पंचवर्षीय योजना (2006-07) के अंत में 2,50,000 करोड़ रुपए से अधिक था। आदर्श रूप से, इन निवेशों को निवल रिटर्न उत्पन्न करना चाहिए। दुःखद सच्चाई यह है कि इस क्षेत्र की प्राप्तियां सिंचाई परियोजनाओं के प्रचालन और रख रखाव पर व्यय को भी कवर नहीं करती हैं। 2006-07 में, सिंचाई क्षेत्र से सभी राज्यों की राजस्व प्राप्तियां 1666 करोड़ थी, जो सिंचाई पर राज्यों के आयोजना-भिन्न राजस्व व्यय का केवल 16 प्रतिशत थी। इस क्षेत्र की मुख्य समस्याएं बहुत कम जल दरें, कमजोर संग्रहण दक्षता, उच्च संस्थापन लागत और सिंचाई परियोजनाओं के रख रखाव की कमी से सम्बद्ध हैं।

राज्य स्तर के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

4.40. राज्य स्तर सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम (पीएसयू) राज्य सरकारों की वित्त व्यवस्थाओं पर संकट बने हुए हैं। राज्य पीएसयू को इक्विटी, ऋण और सब्सिडियों को अंशदान देकर संचयी वित्तीय सहायता मार्च 2008 के अंत में क्रमशः 91,947 करोड़ रुपए, 1,70,492 करोड़ और 25,026 करोड़ रुपए थी। पीएसयू द्वारा जुटाए गए ऋणों पर राज्यों द्वारा दी गई बकाया गारंटियां 1,12,723 करोड़ रुपए थीं और मार्च, 2008 के अंत में सभी राज्यों की कुल बकाया गारंटियों का 60 प्रतिशत था। राज्यों से प्राप्त सूचना के अनुसार, पीएसयू द्वारा लाभांश और ब्याज भुगतान 2007-08 में क्रमशः 167.41 करोड़ और 1684.97 करोड़ रुपए थे। जहां एक ओर लाभांश इक्विटी का 0.18 प्रतिशत है, वहीं दूसरी ओर ब्याज भुगतान बकाया ऋणों का 0.99 प्रतिशत था। ये प्रतिशत असमान्य रूप से कम थे और इक्विटी पर 5 प्रतिशत रिटर्न के अपेक्षित स्तरों के आसपास भी नहीं थे तथा बारहवें वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए बकाया ऋणों पर 7 प्रतिशत ब्याज के भी आसपास नहीं थे।

सारांश

4.41. राज्य वित्त व्यवस्थाओं की समग्र स्थिति में मुख्य प्रवृत्तियों का सारांश निम्नलिखित है:

- निजी कर राजस्वों की उच्च वृद्धि और केन्द्र से वर्धित अन्तरण के बाद राज्य के समग्र वित्त व्यवस्थाओं में महत्वपूर्ण सुधार था। राज्यों के राजस्व लेखे में 2006-07 में अधिशेष हुआ और 2007-08 में भी अधिशेष जारी रहा। यह बारहवें वित्त आयोग द्वारा सुझाए गए 2008-09 का लक्षित दिनांक से आगे है। राज्यों में राजकोषीय समेकन की प्रक्रिया में सार्वजनिक वित्त व्यवस्थाओं के नियम आधारित प्रबंधन चालू करके अधिकांश राज्यों द्वारा एफआरबीएमए के अधिनियमन द्वारा घाटे उपायों कर कोई योगदान नहीं था।
- राज्यों के राजस्व व्यय में मामूली कटौती हुई थी। सघउ के अनुपात के रूप में ब्याज भुगतानों में कमी राजस्व व्यय में कमी से अधिक थी।
- विद्युत और सिंचाई क्षेत्र में राज्यों की स्पष्ट और अस्पष्ट दो प्रकार की सब्सिडियां राज्यों की वित्त व्यवस्थाओं पर संकट है। राज्य स्तरीय पीएसयू का निष्पादन कमजोर ही रहा है।

सारणी 4.11: राज्यों का तुलनात्मक निष्पादन: राजस्व और राजकोषीय घाटे

(जीएसडीपी का प्रतिशत)

राज्य	राजस्व लेखा(अधिशेष(-))					राजकोषीय लेखा घाटा (अधिशेष(-))				
	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	अन्तर (5-2)	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	अन्तर (10-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	1.22	0.03	-1.04	-0.05	-1.27	3.89	3.52	2.10	2.81	-1.08
बिहार	-1.47	-0.10	-2.52	-4.42	-2.95	1.70	4.62	3.05	1.62	-0.08
छत्तीसगढ़	-0.33	-2.51	-4.13	-3.97	-3.64	2.75	0.79	-0.06	0.17	-2.58
गोवा	1.07	0.16	-0.97	-1.01	-2.08	4.80	4.51	3.36	3.29	-1.51
गुजरात	2.13	0.18	-0.70	-0.70	-2.84	4.60	2.85	2.22	1.56	-3.04
हरियाणा	0.28	-1.14	-1.26	-1.51	-1.78	1.29	0.27	-0.93	0.86	-0.43
झारखण्ड	0.61	0.05	-1.51	-1.72	-2.33	4.32	10.18	1.45	2.79	-1.53
कर्नाटक	-1.09	-1.38	-2.21	-1.75	-0.66	2.40	2.19	2.49	2.48	0.07
केरल	3.33	2.52	1.85	2.33	-1.00	4.04	3.36	2.68	3.76	-0.28
मध्यप्रदेश	-1.60	-0.03	-2.60	-3.57	-1.97	6.05	3.93	2.15	1.95	-4.10
महाराष्ट्र	2.59	0.88	-0.16	-2.56	-5.15	4.81	4.02	2.27	-0.49	-5.29
ओड़ीसा	0.73	-0.61	-2.48	-4.11	-4.84	1.91	0.35	-0.90	-1.31	-3.22
पंजाब	3.48	1.13	-1.64	2.78	-0.70	4.22	2.42	0.50	3.35	-0.87
राजस्थान	1.83	0.51	-0.43	-0.99	-2.82	5.24	3.98	2.67	2.05	-3.20
तामिलनाडु	0.35	-0.85	-1.01	-1.57	-1.91	2.75	0.98	1.51	1.27	-1.48
उत्तरप्रदेश	2.84	0.45	-1.57	-1.00	-3.84	5.27	3.60	3.08	4.01	-1.26
पश्चिम बंगाल	3.94	3.15	3.06	2.63	-1.31	5.11	4.09	4.19	3.69	-1.42
जोड़: जीसीएस	1.62	0.40	-0.72	-1.02	-2.63	4.10	3.19	2.15	1.90	-2.21
अरुणाचल प्रदेश	0.27	-6.23	-20.44	-18.57	-18.84	13.54	8.80	-3.14	0.24	-13.29
असम	0.56	-2.61	-3.47	-3.66	-4.22	3.92	-0.62	-1.12	-1.12	-5.04
हिमाचल प्रदेश	5.02	-0.36	-0.67	-2.66	-7.68	7.85	2.83	3.25	1.73	-6.12
जम्मू और कश्मीर	-2.32	-1.49	-1.96	-3.42	-1.10	6.86	9.96	6.65	8.38	1.52
मणिपुर	-2.00	-7.98	-8.39	-21.31	-19.31	9.84	5.36	8.89	-1.79	-11.63
मेघालय	0.86	-1.15	-3.37	-2.47	-3.33	5.39	2.83	1.07	2.82	-2.58
मिजोरम	-4.33	-2.43	-8.43	-3.99	0.34	9.59	14.71	6.40	11.91	2.32
नागालैंड	-2.90	-3.65	-8.62	-5.89	-2.99	4.08	5.41	2.44	5.52	1.44
सिक्किम	-10.54	-10.75	-11.06	-14.91	-4.37	11.58	8.13	4.68	2.73	-8.85
त्रिपुरा	-4.75	-6.74	-8.27	-8.04	-3.29	2.90	1.17	-1.28	0.14	-2.75
उत्तराखण्ड	4.01	0.28	-3.02	-1.87	-5.88	9.19	7.18	2.98	5.12	-4.07
जोड़: एससीएस	0.63	-2.17	-3.78	-4.35	-4.98	6.30	3.86	2.01	2.46	-3.84
सभीराज्य	1.56	0.24	-0.90	-1.20	-2.76	4.24	3.23	2.14	1.93	-2.31

टिप्पणियां: 1. सारणियां 4.11 से 4.14 में प्रस्तुत राजकोषीय संकेतक जीएसडीपी के अतुलनीय अनुमानों पर आधारित है और अध्याय 9 में दिए गए अनुमानों से मेल नहीं खाते हैं जो जीएसडीपी के तुल्य अनुमानों पर आधारित हैं।

2. सारणियां 4.11 से 4.14 तक में प्रस्तुत अनुपातों का सम्बन्ध राज्यों के जीएसडीपी से है और इसीलिए सारणी 4.7 और 4.8 में दिये गए अनुपातों से मेल नहीं खाता, जो सघट सम्बन्धित हैं। सारणियों 4.11 से 4.14 तक में दिए गए समग्र अनुपातों को वर्ष 2004-05, 2005-06, 2006-07 और 2007-08 के लिए क्रमशः 0.8024, 0.7930, 0.7889 और 0.7821 के परिवर्तन कारकों से उन्हें गुणा करके सघट के सन्दर्भ में अनुपातों में परिवर्तित किया जा सकता है।

3. जीसीएस: सामान्य श्रेणी राज्य एससीएस विशेष श्रेणी राज्य

स्रोत: राज्य वित्त लेखों से प्राप्त मूल आंकड़े।

- iv) राजस्व व्यय में कमी और राजस्व लेखा में अधिशेष के बाद राज्यों के समग्र पूंजीव्यय में वृद्धि एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था।
- v) निजी राजस्व प्राप्तियों की वृद्धि में अपेक्षित कमी और वेतन संशोधनों के कारण बढ़ते व्यय प्रतिबद्धताओं के साथ केन्द्रीय अन्तरण अब तक प्राप्त राजकोषीय सुधार में चुनौती है।

राज्य वित्त व्यवस्थाएं: तुलनात्मक परिप्रेक्ष्य

4.42. विभिन्न राजकोषीय संकेतकों में सुधार सभी राज्यों में समरूप नहीं रहा है (सारणी 4.11)। 2004-05 में, सामान्य श्रेणी के राज्यों में, केवल चार राज्यों बिहार, छत्तीसगढ़, कर्नाटक और मध्यप्रदेश के राजस्व

लेखों में अधिशेष हुआ। इस तरह, सभी राज्यों में लेकिन तीन सामान्य श्रेणी के राज्यों में राजस्व घाटे की समाप्ति का लक्ष्य बारहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित 2008-09 के लक्षित वर्ष से एक वर्ष पहले ही प्राप्त कर लिया। विशेष श्रेणी में, पांच राज्य 2004-05 में राजस्व घाटे में थे, लेकिन 2006-07 में सभी राज्यों के राजस्व लेखा में अधिशेष रहे और 2007-08 में भी ऐसा ही हुआ। विशेष श्रेणी के कई राज्यों में राजस्व अधिशेष, सामान्य श्रेणी की तुलना में उनके जीएसडीपी से सम्बन्धित उच्च स्तर पर बना रहा। इन राज्यों में उच्च राजस्व अधिशेष इन राज्यों को उच्च राजस्व लेखा अन्तरण का संकेत है। केन्द्रीय अन्तरण विशेष श्रेणी के राज्यों की राजस्व प्राप्तियों के 70 प्रतिशत से अधिक है।

4.43 राजस्व लेखा पर अधिशेषों के साथ राज्यों के राजकोषीय घाटे वित्तीय पूंजी व्यय में गए। यह राज्यों द्वारा प्राप्त राजकोषीय सुधार में गुणात्मक आयाम का संकेत है और महत्वपूर्ण मात्रात्मक सुधार भी हुआ था। 17 सामान्य श्रेणी के राज्यों में से ग्यारह राज्यों में 2004-05 में जीएसडीपी के तीन प्रतिशत से अधिक राजकोषीय घाटे थे। यह संख्या 2007-08 में घटकर मात्र पांच रह गयी। ये पांच राज्य थे: गोवा, केरल, पंजाब, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल। इनमें से 2007-08 में दो में राजस्व अधिशेष हुआ था। इस प्रकार राजकोषीय सुधार 2008-09 से काफी पहले प्राप्त कर लिया था, जबकि यह जीएसडीपी के 3 प्रतिशत राजकोषीय घाटे का लक्षित वर्ष था।

4.44. 11 विशेष श्रेणी के राज्यों में केवल चार (जम्मू और कश्मीर, मिजोरम, नागालैंड और उत्तराखण्ड) में 2004-05 के 10 की तुलना में 2007-08 में जीएसडीपी के 3 प्रतिशत से अधिक के राजकोषीय घाटे को विशेष श्रेणी के राज्यों में राजकोषीय सुधार को, सभी राज्यों और राज्यों के अन्तर्गत वर्षानुवर्ष विभिन्नताओं से विश्लेषित किया जाता है क्योंकि सभी राज्यों में जीएसडीपी का स्वरूप कम और उतार चढ़ाव वाला होता है।

4.45 चित्र 4.2 और 4.3 सामान्य श्रेणी और विशेष श्रेणी के राज्यों के राजस्व घाटे जीएसडीपी अनुपातों में सुधार क्रमशः विनियोजित करते हैं। सुधार निजी राजस्व में बढ़ोतरी, केन्द्रीय अन्तरणों में बढ़ोतरी और राजस्व व्यय में कमी में विनियोजित होता है। सामान्य श्रेणी में निजी राजस्व और राजस्व व्यय की अड़चन में सुधार के माध्यम से प्राप्त सुधार विस्तार में सभी राज्यों में विस्तृत विभिन्नताएं हैं। तथापि, बहुसंख्यक राज्यों में, सुधार केन्द्रीय अन्तरणों से उत्पन्न बहुसंख्यक सुधारों के साथ, राजस्व प्रेरित है। असम, सिक्किम और त्रिपुरा को छोड़कर विशेष श्रेणी के राज्यों में कोई राजस्व व्यय अड़चन नहीं थी।

4.46 ऋण जीएसडीपी अनुपात सभी बजटीय संव्यवहारों, विशेष तौर से वर्षों के राजकोषीय घाटे के वित्त पोषण के लिए संविदा की गई उधार और राजकोषीय सुधार का महत्वपूर्ण संकेतक है, का अंतिम परिणाम प्रस्तुत करते हैं। राजकोषीय घाटे में कमी के साथ सामजस्य में सामान्य श्रेणी के राज्यों का ऋण जीएसडीपी अनुपात में 2004-05 की तुलना में 2007-08 में जीएसडीपी के 5 प्रतिशत से अधिक की कमी हुई (सारणी


4.12)। 17 सामान्य श्रेणी के राज्यों में से सात राज्यों में, 2004-05 में ऋण जीएसडीपी अनुपात 39.18 प्रतिशत ग्रुप औसत की तुलना में 40 प्रतिशत से अधिक रहा। 2007-08 तक, ऐसे राज्यों की संख्या घटकर चार यानि बिहार, राजस्थान, उत्तरप्रदेश और पश्चिम बंगाल हो गई। इनमें उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के राजकोषीय घाटे जीएसडीपी के तीन प्रतिशत से अधिक हैं। बिहार यद्यपि राजस्व अधिशेष वाला राज्य है, में 2004-05 में अधिकतम ऋण जीएसडीपी अनुपात था। गोवा और झारखण्ड को छोड़कर सभी राज्यों ने उनके ऋण जीएसडीपी अनुपात में कमी को पूरा किया। बारहवें वित्त आयोग ने सिफारिश दी कि ऋण जीएसडीपी अनुपात को घटाकर 28 प्रतिशत किया जाए ताकि यह राजकोषीय घाटा लक्ष्य के अनुरूप रहे।

4.47 यद्यपि 2007-08 में विशेष श्रेणी के राज्यों का समग्र ऋण-जीएसडीपी अनुपात 11 राज्यों में से छह की ऋण स्थिति के 2004-05 स्तर की तुलना में कम थी, जिसने 2005-06 से सभी तीनों वर्षों में राजस्व अधिशेष दर्ज हुआ जो 2007-08 तक खराब हो गया। विशेष श्रेणी राज्यों का ऋण जीएसडीपी अनुपात सामान्य श्रेणी राज्यों की तुलना में अधिक स्तर पर जारी है। जीएसडीपी वृद्धि कम स्तरों और उतार-चढ़ाव वाले स्वरूप से आंशिक रूप से इस राज्यों में से कुछ में ऋण जीएसडीपी अनुपात अधिक होना स्पष्ट हैं।


निजी कर राजस्व

4.48. 2004-05 और 2007-08 (सारणी 4.13) के मध्य हरियाणा और पश्चिम बंगाल को छोड़कर सभी सामान्य श्रेणी के राज्यों के निजी कर राजस्वों में सुधार हुआ था। कर जीएसडीपी अनुपात में सुधार अधिकतम आंध्र प्रदेश में था। इसके बाद कर्नाटक, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश है। पहले दो राज्यों में कर जीएसडीपी अनुपात, सामान्य श्रेणी के राज्यों के औसत की तुलना में 2004-05 में अपेक्षाकृत अधिक था। कर्नाटक सम्पूर्ण के रूप में सामान्य श्रेणी के राज्यों के 7.89 की औसत का तुलना में 2007-08 में 12.07 के उच्चतम कर जीएसडीपी अनुपात के साथ प्रमुख है। कर कर जीएसडीपी अनुपातों वाले राज्यों में सुधार अपेक्षाकृत कम हुआ है। जहां एक ओर बिहार ने 2004-05 में 4.57 के न्यूनतम कर जीएसडीपी अनुपात के साथ 2007-08 में अपने अनुपात में मामूली सुधार किया, वहीं दूसरी ओर पश्चिम बंगाल के संदर्भ में अनुपात 0.51 प्रतिशत घटकर इसी अवधि में 4.24 हो गया।

चित्र 4.2: सामान्य श्रेणी के राज्यों में राजस्व घाटे में कमी (+):
2004-05 की तुलना में 2007-08



चित्र 4.3: विशेष श्रेणी के राज्यों में राजस्व घाटे में कमी (+):
2004-05 की तुलना में 2007-08



सारणी 4.12: जीएसडीपी से सम्बन्धित बकाया ऋण: राज्यवार स्थिति

(जीएसडीपी का प्रतिशत)

राज्य	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	अन्तर (5-2)
1	2	3	4	5	6
आंध्र प्रदेश	35.30	33.70	32.18	31.16	-4.14
बिहार	58.02	58.01	49.61	48.49	-9.53
छत्तीसगढ़	27.31	24.11	22.00	18.95	-8.37
गोवा	37.89	37.58	39.21	38.27	0.38
गुजरात	37.59	37.02	34.56	31.44	-6.15
हरियाणा	25.91	25.40	22.63	19.73	-6.18
झारखण्ड	26.33	31.55	30.98	31.10	4.77
कर्नाटक	31.32	31.10	30.64	27.94	-3.39
केरल	39.63	38.45	36.61	35.78	-3.85
मध्यप्रदेश	41.23	42.27	41.56	38.81	-2.42
महाराष्ट्र	30.91	32.11	30.34	26.70	-4.21
उड़ीसा	50.53	48.98	43.30	37.29	-13.24
पंजाब	46.89	45.25	39.97	39.47	-7.41
राजस्थान	51.28	51.28	47.93	46.29	-4.98
तामिलनाडु	27.25	27.15	25.25	22.14	-5.11
उत्तरप्रदेश	53.28	53.21	51.96	50.60	-2.68
पश्चिम बंगाल	50.01	47.88	44.35	42.82	-7.19
जोड़: जीसीएस	39.18	38.82	36.44	34.01	-5.17
अरुणाचल प्रदेश	62.29	80.09	69.73	68.13	5.84
असम	33.40	32.22	31.13	29.87	-3.53
हिमाचल प्रदेश	71.68	68.44	63.73	60.73	-10.94
जम्मू और कश्मीर	58.47	63.27	64.04	67.17	8.70
मणिपुर	67.48	77.09	78.37	79.40	11.92
मेघालय	37.43	40.61	39.68	41.30	3.87
मिजोरम	110.44	109.48	103.70	102.74	-7.69
नागालैंड	52.62	56.30	55.71	54.00	1.38
सिक्किम	69.10	73.82	71.70	76.33	7.24
त्रिपुरा	50.40	47.06	44.79	42.08	-8.31
उत्तराखण्ड	115.79	112.11	103.21	94.13	-21.66
जोड़: एससीएस	60.56	60.58	58.02	56.30	-4.26
सभी राज्य	40.49	40.12	37.69	35.28	-5.21

टिप्पणी: जीसीएस: सामान्य श्रेणी राज्य; एससीएस: विशेष श्रेणी राज्य

स्रोत: राज्य वित्त लेखों से प्राप्त मूल आंकड़े

4.49. असम को छोड़कर सभी विशेष श्रेणी राज्यों ने अपने कर जीएसडीपी अनुपातों में 2004-05 की तुलना में 2007-08 में सुधार किया। जम्मू-कश्मीर और उत्तराखण्ड राज्यों में निजी कर राजस्व में महत्वपूर्ण सुधार हुआ। विशेष श्रेणी के राज्यों ने अपना समग्र कर-जीएसडीपी अनुपात 2004-05 की तुलना में 2007-08 में 0.84 प्रतिशत का सुधार किया जो सामान्य श्रेणी राज्यों द्वारा प्राप्त जीएसडीपी के 0.53 प्रतिशत के समग्र सुधार से अधिक है।

राज्यों का व्यय

4.50 राज्यों की व्यय प्रवृत्तियां सारणी 4.14 में दी गई हैं। सामान्य श्रेणी राज्यों ने 2004-05 के स्तर की तुलना में 2007-08 में अपने राजस्व व्यय में जीएसडीपी के 0.20 प्रतिशत की मामूली कमी दर्शाई। जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में राजस्व व्यय में कमी 17 में से 9 राज्यों में देखी गई। आंध्र प्रदेश, बिहार और झारखण्ड राज्य 2004-05 और 2007-08 के मध्य जीएसडीपी के 1.99 से 2.42 प्रतिशत की रेंज में अपने राजस्व व्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि कर प्रभावशाली रहे। डीसीआरएफ के बाद ब्याज भार में कमी राज्यों के राजस्व व्यय में कमी करने के उनके प्रयास में सहायक मालूम पड़ती है। तुलना में 2004-08 के दौरान विशेष श्रेणी राज्यों के राजस्व व्यय में मामूली बढ़ोतरी हुई।

2007-08 में सामान्य श्रेणी राज्यों के 14.98 प्रतिशत की तुलना में विशेष श्रेणी राज्यों में राजस्व व्यय जीएसडीपी अनुपात 27.15 प्रतिशत पर उच्च रहा। विशेष श्रेणी में केवल तीन राज्यों असम, सिक्किम और त्रिपुरा ने 2004-05 स्तरों की तुलना में 2007-08 में अपने राजस्व व्यय जीएसडीपी अनुपातों में कमी की।

4.51 राजस्व लेखा में सुधार से, सामान्य श्रेणी राज्यों के पूंजी व्यय में सुधार हो कर यह 2004-05 के जीएसडीपी के 2.12 प्रतिशत से 2007-08 में जीएसडीपी का 2.94 प्रतिशत हो गया। केवल महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में 2004-05 और 2007-08 के मध्य उनके पूंजी व्यय-जीएसडीपी अनुपातों में मामूली कमी दिखी। बिहार और उत्तरप्रदेश गरीब राज्यों में सुधार महत्वपूर्ण था। असम और सिक्किम को छोड़कर सभी विशेष श्रेणी राज्यों ने अपने पूंजी व्यय में सुधार दर्शाया। अरुणाचल प्रदेश मणिपुर, मिजोरम और नागालैंड में सुधार महत्वपूर्ण था। विशेष श्रेणी राज्यों में पूंजी व्यय जीएसडीपी अनुपात पहले के उच्च राजस्व अधिशेष के कारण सामान्य श्रेणी राज्यों के इस अनुपात की तुलना में अधिक है।

सारांश

4.52 2004-08 के दौरान राज्यों के तुलनात्मक निष्पादन का सारांश निम्न प्रकार है:

सारणी 4.13: निजी कर राजस्व: राज्यों का तुलनात्मक निष्पादन

राज्य	औसत ओटीआर/जीएसडीपी				(प्रतिशत) उछाल	
	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	अन्तर (5-2)	1998-08
1	2	3	4	5	6	7
आंध्र प्रदेश	7.72	8.14	8.89	9.21	1.49	1.327
बिहार	4.57	4.44	4.08	4.84	0.27	0.685
छत्तीसगढ़	7.20	7.36	7.85	7.34	0.13	1.128
गोवा	7.46	8.21	8.89	8.27	0.81	1.348
गुजरात	6.85	7.14	7.25	7.13	0.28	0.944
हरियाणा	7.95	8.53	8.64	7.87	-0.07	1.199
झारखण्ड	4.64	5.01	5.09	5.00	0.35	1.76
कर्नाटक	10.73	11.09	12.38	12.07	1.35	1.593
केरल	8.13	7.86	8.38	8.42	0.29	1.097
मध्यप्रदेश	7.25	7.84	8.17	8.43	1.19	1.321
महाराष्ट्र	7.90	7.66	7.87	8.22	0.32	1.168
उड़ीसा	5.85	6.37	6.65	6.64	0.79	1.608
पंजाब	7.13	8.19	7.31	7.20	0.07	1.455
राजस्थान	7.18	7.63	7.82	7.97	0.79	1.571
तामिलनाडु	9.57	10.16	10.57	10.20	0.64	1.376
उत्तरप्रदेश	6.36	6.74	7.37	7.25	0.89	1.534
पश्चिम बंगाल	4.76	4.43	4.29	4.24	-0.51	1.145
जोड़: जीसीएस	7.35	7.59	7.88	7.89	0.53	1.322
अरुणाचल प्रदेश	1.76	2.13	2.30	2.45	0.69	2.398
असम	5.16	5.59	5.46	4.77	-0.40	1.628
हिमाचल प्रदेश	5.43	5.88	5.84	6.12	0.70	1.362
जम्मू और कश्मीर	5.57	6.13	6.20	8.05	2.48	1.952
मणीपुर	1.78	1.88	2.28	2.59	0.80	1.991
मेघालय	3.58	4.00	4.38	4.20	0.62	1.591
मिजोरम	1.61	2.04	2.27	2.36	0.75	2.779
नागालैंड	1.46	1.86	1.86	1.83	0.36	1.441
सिक्किम	5.48	5.43	6.12	6.36	0.88	1.542
त्रिपुरा	2.89	3.15	3.32	3.29	0.41	1.572
उत्तराखण्ड	6.09	6.82	8.46	8.05	1.96	2.316
जोड़: एससीएस	4.88	5.36	5.64	5.68	0.80	1.916
सभी राज्य	7.20	7.46	7.75	7.76	0.56	1.343

टिप्पणी: जीसीएस: सामान्य श्रेणी राज्य; एससीएस: विशेष श्रेणी राज्य

स्रोत: राज्य वित्त लेखों से प्राप्त मूल आंकड़े

- i) राजस्व लेखा में महत्वपूर्ण सुधार हुआ और कई राजस्व अधिशेष सामान्य श्रेणी राज्यों 2004-05 के 4 से बढ़कर 2007-08 में 14 हो गए। 2007-08 में राजस्व घाटे वाले केवल तीन राज्य केरल, पंजाब और पश्चिम बंगाल हैं। इस प्रकार, ज्यादातर सामान्य श्रेणी के राज्यों में राजस्व घाटा को समाप्त करने की लक्षित तिथि से एक वर्ष पहले ही कर लिया। सभी विशेष श्रेणी राज्य 2007-08 में राजस्व अधिशेष स्थिति में थे।
- ii) सभी राज्यों में (तीन को छोड़कर) 2007-08 तक राजस्व घाटे की समाप्ति का अर्थ है कि राजकोषीय घाटे अब पूंजी व्यय के कारण हुए थे। यह प्राप्त राजकोषीय घाटे की गुणवत्ता का संकेत है।
- iii) सामान्य श्रेणी के 17 राज्यों में से केवल पांच राज्यों का राजकोषीय घाटा 2004-05 के 11 की तुलना में 2007-08 में जीएसडीपी के 3 प्रतिशत से अधिक था। 11 विशेष श्रेणी के राज्यों में, केवल चार राज्यों (जम्मू कश्मीर, निजोरम, नागालैंड, और उत्तराखण्ड) में राजकोषीय घाटे 2004-05 के 10 की तुलना में 2007-08 में जीएसडीपी के तीन प्रतिशत से अधिक था।
- iv) सामान्य श्रेणी के 17 राज्यों में से छह राज्यों में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी के 2 प्रतिशत से कम था, और महाराष्ट्र तथा उड़ीसा में राजकोषीय लेखा में 2007-08 में अधिशेष हुआ। बारहवें वित्त आयोग द्वारा संविदा विहित राजकोषीय पथ के अनुसार राज्यों के लिए निर्धारित उधार सीमाएं बारहवें वित्त आयोग द्वारा अनुमानित जीएसडीपी के सन्दर्भ में थी। अनुमानित की तुलना में जीएसडीपी की अधिक वृद्धि वाले राज्य अपने वास्तविक जीएसडीपी के प्रतिशत के रूप में कम राजकोषीय घाटे दर्शाएंगे।
- v) राजकोषीय घाटे का गिरावटी प्रवृत्ति के अनुरूप, राज्यों का ऋण जीएसडीपी अनुपात इस अवधि में घट गया। ऋण जीएसडीपी अनुपात वाले केवल चार सामान्य श्रेणी के राज्य थे जो 2004-05 के सात की तुलना में 2007-08 में 40 प्रतिशत से अधिक था। तथापि, विशेष श्रेणी के 11 राज्यों में से छह राज्यों की ऋण स्थिति 2007-08 तक और खराब हो गयी।
- vi) कुछ अपवादों के साथ, सभी राज्यों के कर जीएसडीपी अनुपातों में सामान्य श्रेणी के हरियाणा और पश्चिम बंगाल और विशेष श्रेणी के असम को छोड़कर सामान्य श्रेणी और विशेष श्रेणी दोनों में 2004-08 में सुधार हुआ। कर-जीएसडीपी अनुपात कर्नाटक में अधिकतम है उसके बाद तमिलनाडु और आंध्रप्रदेश

सारणी 4.14: राज्य: व्यय में तुलनात्मक प्रवृत्तियां

(जीएसडीपी का प्रतिशत)

राज्य	राजस्व व्यय					पूंजी व्यय				
	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	अन्तर (5-2)	2004-05	2005-06	2006-07	2007-08	अन्तर (10-7)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
आंध्र प्रदेश	14.88	14.79	15.39	17.27	2.40	2.57	3.25	3.68	4.09	1.51
बिहार	19.99	22.15	20.80	22.41	2.42	1.65	2.60	5.27	5.80	4.16
छत्तीसगढ़	15.85	13.54	13.70	14.15	-1.70	2.85	2.72	3.42	4.09	1.23
गोवा	16.92	16.40	17.00	16.90	-0.02	3.71	4.35	4.31	4.19	0.48
गुजरात	12.85	11.59	11.48	10.93	-1.92	2.17	3.17	3.08	2.22	0.05
हरियाणा	12.18	11.88	12.94	11.88	-0.31	0.96	1.52	1.92	2.32	1.36
झारखण्ड	13.59	15.43	14.46	15.58	1.99	2.60	3.34	2.33	3.72	1.12
कर्नाटक	16.64	16.69	17.76	17.36	0.72	3.12	3.47	4.54	4.02	0.90
केरल	15.57	14.81	14.62	15.33	-0.25	0.62	0.66	0.63	0.91	0.29
मध्यप्रदेश	16.80	17.68	17.44	17.97	1.16	4.61	5.69	4.03	4.79	0.18
महाराष्ट्र	13.18	11.93	12.05	11.20	-1.98	2.03	2.30	1.98	1.99	-0.05
ओड़ीसा	17.32	17.32	17.30	17.16	-0.17	1.48	1.32	1.59	2.73	1.25
पंजाब	17.65	16.59	15.03	16.77	-0.87	0.78	1.38	2.10	1.59	0.81
राजस्थान	16.97	16.60	16.81	17.48	0.51	2.97	3.32	3.24	3.93	0.96
तामिलनाडु	14.41	13.94	14.57	14.80	0.40	2.26	1.77	2.27	2.57	0.32
उत्तरप्रदेश	18.09	16.66	17.85	18.94	0.85	2.29	3.11	4.48	4.92	2.63
पश्चिम बंगाल	13.49	13.26	12.53	12.39	-1.11	0.88	0.70	0.74	0.87	-0.01
जोड़: जीसीएस	15.18	14.63	14.77	14.98	-0.20	2.12	2.50	2.78	2.94	0.83
अरुणाचल प्रदेश	52.91	57.15	55.79	56.43	3.52	13.14	15.00	17.22	18.81	5.67
असम	19.47	18.22	17.97	18.09	-1.38	4.15	1.88	2.28	2.40	-1.75
हिमाचल प्रदेश	25.11	25.39	26.96	25.93	0.82	2.84	3.22	3.91	4.42	1.59
जम्मू और कश्मीर	34.22	37.38	36.56	38.34	4.12	8.99	11.38	8.46	11.69	2.71
मणिपुर	36.15	39.57	45.19	40.19	4.04	11.41	12.16	16.23	19.42	8.01
मेघालय	27.50	26.50	27.41	29.63	2.14	4.23	4.10	4.60	5.15	0.92
मिजोरम	56.85	58.87	57.53	58.04	1.19	13.43	16.73	15.63	16.55	3.13
नागालैंड	31.51	36.36	34.81	35.76	4.25	7.10	9.14	11.13	11.42	4.32
सिक्किम	107.57	96.59	91.20	99.83	-7.74	22.07	18.89	15.77	17.66	-4.41
त्रिपुरा	26.31	25.48	24.14	24.83	-1.48	7.67	7.92	7.03	8.21	0.54
उत्तराखण्ड	21.23	21.44	21.80	21.33	0.10	4.79	6.52	5.72	6.57	1.78
जोड़: एससीएस	26.60	26.89	26.94	27.15	0.54	5.82	5.89	5.69	6.68	0.86
सभीराज्य	15.88	15.36	15.47	15.67	-0.21	2.34	2.70	2.94	3.16	0.81

टिप्पणी: जीसीएस: सामान्य श्रेणी राज्य; एससीएस: विशेष श्रेणी राज्य

स्रोत: राज्य वित्त लेखों से मूलभूत आंकड़े

है। बिहार और पश्चिम बंगाल कर जीएसडीपी अनुपातों के सन्दर्भ में सामान्य श्रेणी के राज्यों की सूची में सबसे नीचे है।

- vii) 2004-08 में सामान्य श्रेणी के राज्यों के समग्र राजस्व व्यय में जीएसडीपी के 0.20 प्रतिशत की केवल मामूली गिरावट थी। साथ ही आठ राज्यों ने वृद्धि और नौ राज्यों ने गिरावट दर्ज की। आंध्रप्रदेश, बिहार और झारखण्ड में राजस्व व्यय में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई थी। इसके अतिरिक्त, छत्तीसगढ़ गुजरात, महाराष्ट्र और पश्चिम बंगाल में राजस्व व्यय में महत्वपूर्ण कमी हुई। 2004-08 के दौरान असम, सिक्किम और त्रिपुरा को छोड़कर विशेष श्रेणी के राज्यों के राजस्व व्यय में मामूली बढ़ोत्तरी हुई और उनके राजस्व व्यय जीएसडीपी अनुपातों में कमी देखी गयी।

अन्तर-सरकारी अन्तरण में प्रवृत्तियां

4.53 भारत में, केन्द्र सरकार से राज्यों को संसाधन अन्तरण जिसमें सांविधिक और गैर सांविधिक अन्तरण शामिल हैं, बहुगामी हैं। केन्द्रीय करों और आयोजना भिन्न अनुदानों में हिस्से के रूप में सांविधिक अन्तरण वित्त आयोग की सिफारिशों पर आधारित हैं। गैर सांविधिक

राजस्व अन्तरण योजना आयोग से आयोजना अनुदानों के रूप में तथा केन्द्रीय मंत्रालयों से आयोजना और आयोजना भिन्न अनुदानों के रूप में है। इन राजस्व अन्तरणों से सम्बद्ध हिस्से अनुबन्ध 4.1 दिये गए हैं।

4.54. वित्त आयोग के माध्यम से अन्तरण सर्वाधिक है जो हाल ही के वर्षों में हुए कुल अन्तरणों से 68 प्रतिशत से अधिक है। वित्त आयोग अन्तरण के हिस्से में आठवें वित्त आयोग की पंचाट अवधि के 60.13 प्रतिशत से बढ़कर बारहवें वित्त आयोग द्वारा कवर अवधि में 68.03 प्रतिशत हो गया। वित्त आयोग अन्तरणों में अनुदानों के हिस्से में बढ़ोत्तरी हुई है विशेष तौर से ग्यारहवें और बारहवें वित्त आयोग द्वारा शामिल अवधियों में, बारहवें वित्त आयोग ने महसूस किया कि अनुदान बेहतर लक्षित हो सकते हैं कर सुपुर्दगी की अपेक्षा अनुदानों के माध्यम से लागत अक्षमताओं तथा वितरण को अधिक प्रभावी ढंग से बेहतर लक्षित किया जा सकता है। तदनुसार आयोग ने अपने द्वारा सुझाए अन्तरणों में अनुदानों के हिस्से में वृद्धि की।

4.55 आयोजना अनुदानों का हिस्सा 2006-07 से बढ़ता रहा है और 2007-08 के बाद से यह वृद्धि और सुदृढ़ हो गयी। इसका कारण आयोजना अनुदानों और सीएसएस के माध्यम से उच्च अंतरणों के संघटन में परिवर्तन है। अब, राज्यों को प्रदत्त आयोजना अनुदान का

पर्याप्त भाग योजना विशेष है, और परिणामस्वरूप कुल आयोजना अनुदानों में फार्मुला आधारित साधारण केन्द्रीय सहायता का हिस्सा महत्वपूर्ण रूप से घट गया है। केन्द्र प्रायोजित योजनाओं की संख्या में बढ़ोतरी हुई है, इनमें से कुछ का निधियन केन्द्र सरकार द्वारा लेवी लगाए गए उपकरणों के लाभों से होता है।

4.56. हाल ही के वर्षों में, योजना आधारित अन्तरणों की 1969 के पूर्व का स्थिति पर लौटते हुए आयोजना अनुदान योजना उन्मुखी अधिक हो गए हैं। सीएसएस की संख्या में कमी और फार्मुला आधारित सुविचारित के स्वामित्व की तरफ जाने का आम सहमति है, लेकिन इस दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति नहीं हुई है। यह हमारा सुविचारित दृष्टिकोण है कि इस दिशा में पहल की जानी चाहिए।

4.57. अन्तरण चैनलों की बहुसंख्या से वित्त आयोग के लिए समग्र अन्तरणों की ओर देखना आवश्यक हो गया है। पहली बार ग्यारहवें वित्त आयोग ने सभी चैनलों से राज्यों को अन्तरणों के रूप में केन्द्र के सकल राजस्व प्राप्तियों के 37.5 प्रतिशत की संकेतात्मक ऊपरी सीमा की सिफारिश की थी। यह बारहवें वित्त आयोग ने बढ़ाकर 38 प्रतिशत कर दी। केन्द्र की सकल राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के रूप में राज्यों के अन्तरणों में प्रवृत्तियां अनुबन्ध 4.2 में दी गई हैं।

4.58 नौवें वित्त आयोग की पचाट अवधि के दौरान केन्द्र की सकल राजस्व प्राप्तियों के 40.33 प्रतिशत के शीर्ष स्तर के पश्चात दसवें वित्त आयोग और ग्यारहवें वित्त आयोग की अवधि के दौरान केन्द्रीय अन्तरण कम होकर 35 प्रतिशत हो गए। बारहवें वित्त आयोग की अवधि में केन्द्र के अन्तरण केन्द्र की सकल राजस्व प्राप्तियों के 38 प्रतिशत से अधिक होने

सारणी 4.15 संयुक्त राजस्व प्राप्तियों में केन्द्र का अन्तरणों से पूर्व और बाद में हिस्सा

आयोग	संयुक्त राजस्व प्राप्तियों में केन्द्र का हिस्सा			(प्रतिशत)	
	अन्तरणों से पूर्व	वित्त आयोग के अन्तरणों के बाद	कुल अन्तरणों के बाद	राज्यों को वित्त आयोग के अन्तरण/ संयुक्त राजस्व प्राप्तियां	राज्यों को कुल अन्तरण/ संयुक्त राजस्व प्राप्तियां
वित्त आयोग-आठवां	65.4	49.1	38.7	16.3	26.7
वित्त आयोग-नौवां	62.8	45.6	35.3	17.2	27.5
वित्त आयोग-दसवां	60.8	44.1	36.3	16.7	24.5
वित्त आयोग-ग्यारहवां	53.5	40.4	33.3	13.1	25.2
वित्त आयोग-बारहवां	62.6	42.4	35.7	20.2	26.9
2005-06	61.9	41.6	35.3	20.3	26.6
2006-07	62.5	41.9	35.4	20.6	27.1
2007-08	63.5	43.6	36.5	19.9	27.0

टिप्पणियां: 1 बारहवें वित्त आयोग के संबंध में औसत तीन वर्ष (2005-08) के लिए है।

2. राज्यों को अन्तरणों में कर अन्तरण और अनुदान दोनों शामिल हैं।

3. राज्यों को कुल अन्तरणों में वित्त आयोगों द्वारा कर अन्तरण और अनुदान तथा केन्द्र से अन्य आयोजना एवं आयोजना-भिन्न अनुदान शामिल हैं। इनमें राज्य बजट से बाहर के अन्तरण शामिल नहीं हैं।

स्रोत: भारतीय लोक वित्त सांख्यिकी से मूल आंकड़ें तथा केन्द्रीय वित्त लेखे (विभिन्न वर्षों के)

का अनुमान लगाया गया है। वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में राज्यों को केन्द्रीय अन्तरण में दो प्रतिशतांक से भी अधिक की वृद्धि हुई है। वित्त आयोग के अनुदानों और आयोजना अनुदानों दोनों के कारण सकल राजस्व प्राप्तियों के प्रतिशत के रूप में केन्द्रीय अन्तरणों में घट-बढ़ हुई है।

विषम स्तरीय असंतुलन

राजस्व प्राप्तियां

4.59 संयुक्त राजस्व प्राप्तियों और संयुक्त व्यय में केन्द्र और राज्यों का सापेक्षिक हिस्सा भारतीय संघ में, विषय स्तरीय असंतुलन दर्शाता है। संयुक्त राजस्व प्राप्तियों के अनुपात के रूप में कुल अन्तरण आठवें वित्त आयोग के बाद से स्थिर बने हुए हैं। कुल मिलाकर इस अवधि में आगामी वित्त आयोगों द्वारा निवल केन्द्रीय करों के सिफारिश किए गए हिस्से में वृद्धि होने की वजह से संयुक्त राजस्व प्राप्तियों में वित्त आयोग के अन्तरणों के हिस्से में मामूली वृद्धि हुई है। (सारणी 4.15)।

व्यय

4.60 सारणी 4.16 संयुक्त राजस्व और कुल व्यय में केन्द्र और राज्यों के सापेक्षिक हिस्सों को दर्शाती है। पहले वित्त आयोग से लेकर बारहवें वित्त आयोग की अवधि में संयुक्त राजस्व व्यय में केन्द्र का हिस्सा 40.0 प्रतिशत से 46.1 प्रतिशत तक घटता-बढ़ता रहा। आठवें वित्त आयोग की अवधि से संयुक्त राजस्व व्यय में केन्द्र और राज्यों का सापेक्षिक हिस्सा उल्लेखनीय रूप से स्थिर बना रहा जिसमें केन्द्र के हिस्से में 43 से 44 प्रतिशत की रेंज में मामूली उतार-चढ़ाव हुआ। जहां तक संयुक्त कुल व्यय का संबंध है, सभी बारहों वित्त आयोगों की पचाट अवधियों के दौरान केन्द्र के हिस्से में 43.14 प्रतिशत से 50.51 प्रतिशत तक घट-बढ़ होती रही। दसवें वित्त आयोग की पचाट अवधि से केन्द्र का हिस्सा लगभग 43 प्रतिशत पर स्थिर बना रहा।

4.61 चित्र 4.4 संयुक्त राजस्व और कुल व्यय में राज्यों के हिस्सों में वर्ष-वार घट-बढ़ को दर्शाता है।

नीतिगत परिणाम

4.62 राजकोषीय सुधार को वापस पटरी पर लाना केन्द्र और राज्यों दोनों की प्राथमिकता होनी चाहिए। तेल के अन्तरराष्ट्रीय मूल्यों के नियंत्रित होने, छटे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों के बाद वेतन की बकाया राशि के लिए वचनबद्धता और कृषि संबंधी ऋण को माफ किए जाने तथा अर्थव्यवस्था में सुधार के संकेत दिखाई देने से जल्दी ही राजकोषीय सुधार की राह पर लौटना संभव होगा। वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है क्योंकि कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाएं मंदी से उबर रही हैं। ऐसे भी संकेत मिलते हैं कि वर्ष 2009 की अंतिम तिमाही में वैश्विक अर्थव्यवस्था में सुधार हुआ है और यह सुधार 2010 में भी जारी है। 2008-09 और 2009-10 की राजकोषीय विस्तार की स्थिति से बाहर निकलने की अंशशोधित नीति सरकार का वर्ष 2010-11 का मुख्य कार्य होना चाहिए। आशा की जाती है कि राजकोषीय प्रोत्साहनों के एक भाग के रूप में दर में जो कटौती की गई है उसके बाद जी एसटी को शुरू करने का प्रस्ताव राजस्व में अस्थायी कमी की स्थिति में बदलाव लाएगा। हम केन्द्र और राज्यों दोनों के लिए राजकोषीय सुधार के एक संशोधित रूपरेखा की सिफारिश कर रहे हैं। संशोधित रूपरेखा में वर्ष 2014-15 के लिए 68 प्रतिशत का एक संयुक्त ऋण-स.घ.उ.अनुपात निर्धारित किया गया है। वर्ष 2014-15 में केन्द्र सरकार के लिए ऋण-स.घ.उ. अनुपात 45 प्रतिशत निर्धारित करने के लक्ष्य से सभी राज्यों के लिए इसके परिणामस्वरूप अनुमानित लक्ष्य 25 प्रतिशत है (राज्यों को दिए गए केन्द्र के ऋणों को घटा दिए जाने के कारण राज्य और केन्द्र के अनुपातों को संयुक्त अनुपात में नहीं जोड़ा जाता है)। रूपरेखा में केन्द्र और सभी राज्यों द्वारा अलग-अलग रूप से वर्ष 2014-15 तक राजस्व घाटे को समाप्त कर देने का भी लक्ष्य है जिसका ब्योरा अध्याय-9 में दिया गया है।

4.16 राजस्व और कुल व्यय में केन्द्र तथा राज्यों का सापेक्षिक हिस्सा

वित्त आयोगों की अवधि में औसत	सापेक्षिक हिस्सा			
	कुल व्यय		राजस्व व्यय	
	केन्द्र	राज्य	केन्द्र	राज्य
वित्त आयोग-I	43.83	56.17	40.77	59.23
वित्त आयोग-II	49.47	50.53	41.83	58.17
वित्त आयोग-III	50.51	49.49	46.10	53.90
वित्त आयोग-IV	47.69	52.31	41.77	58.23
वित्त आयोग-V	43.14	56.86	40.00	60.00
वित्त आयोग-VI	47.35	52.65	44.19	55.81
वित्त आयोग-VII	44.79	55.21	41.98	58.02
वित्त आयोग-VIII	47.86	52.40	44.22	55.78
वित्त आयोग-IX	45.58	54.42	43.45	56.55
वित्त आयोग-X	43.35	56.65	43.18	56.82
वित्त आयोग-XI	43.77	56.23	44.03	55.97
वित्त आयोग-XII*	43.74	56.26	44.45	55.55
समग्र औसत	45.92	54.08	43.00	57.00

टिप्पणियां: * तीन वर्षों (2005-08) का औसत

स्रोत: भारतीय लोक वित्त सांख्यिकी से मूल आंकड़े (कई वर्षों के संबंध में)

चित्र 4.4 : संयुक्त राजस्व और कुल व्यय में राज्यों का सापेक्षिक हिस्सा

